राजस्थान विधान सभा

तृतीय बैठक मंगलवार, दिनांक १ अप्रेल, सन् १९५२, ई०

सभा की बैठक आज दिनांक १ अप्रेल, १९५२, ई० को सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में प्रातःकाल ८-३५ बजे प्रारम्भ हुई। अध्यक्ष (माननीय श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष पद पर आसीन।

शपथ व प्रतिज्ञान ग्रहण

माननीय अध्यक्षः-

वे सदस्य जिन्होंने शपथ या प्रतिज्ञान न किया हो वे आज ऐसा करेंगे। (इस के पश्चात् सचिव ने श्री रघुराजसिंह का नाम पुकारा किन्तु वे अनुपस्थित थे)

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद

माननीय अध्यक्षः—आजश्री मंगलसिंह यह प्रस्ताव रखें।

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्यगण, श्रीमान् राजप्रमुख के अभि-भाषण के लिये, जो कि उन्होंने कृपा-पूर्वक सदन में दिया है, अत्यंत कृतज्ञ हैं।"

श्री जसवन्तसिंह (विरोधी दल के नेता)

श्रीमान् अध्यक्षजी, आज की कार्यवाही शुरू हो उससे पहले एक स्पष्टीकरण जरूरी है। आज की कार्यप्रणाली के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि वह किस प्रकार होगी? मामूली तौर से यहां की विधान सभाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि विधान सभाओं में क्या हुआ करता है; लेकिन पार्लियामेन्ट में जब प्रेसिडेन्ट स्पीच देते हैं उस वक्त गवर्नमेन्ट की तरफ से तो धन्यवाद दिया हो जाता है इसमें शक नहीं है। लेकिन उस धन्यवाद में जो शामिल नहीं होना चाहते वे प्रेसिडेन्ट के भाषण का विरोध नहीं करते हैं। क्यों कि यह अच्छा नहीं समझा जाता। इस लिये पार्लियामेन्ट में फौरन अटेच करने का प्लानिंग किया जाता है और एक अमेन्डमेन्ट की तौर पर विपक्ष की ओर से रखा जाता है। मैं नहीं समझता आप किस तरह की प्रणाली यहां डालेंगे?

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि आज के एजेन्डा के माफिक कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव पेश होगा और दूसरे सज्जन उसे सेकन्ड करेंगे। हम लोग जो विरोधी दल के हैं उनके बोलने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है? क्या हम उनके सेकन्ड करने के बाद बोलेंगे या किस प्रकार हम लोग बोलेंगे?

किस प्रकार कांग्रेस पार्टी वाले बोलेंगे ? दो दिन के लिए जितने बोलने वाले हैं उनके लिए पहले से समय फिक्स कर लिया जाता है। मेरी राय में स्पीकर दोनों पक्ष के बोलने वाले सज्जनों की संख्या को देख कर समय निश्चित करलें और उसके बाद कार्यवाही शुरू की जाय।

श्री गोपीलाल यादवः-

अपोजीशन के नेता की तरफ से जो सवाल किया गया है उस पर मुझे कुछ आपत्ति है। उन्होंने कहा है कि इस पर प्रकाश डाला जाय कि अमेन्डमेन्ट (संशोधन) रखने का अधिकार होगा या नही ? आप अधिकार देंगे या क्या कार्य प्रणाली होगी? मैं समझता हूं कि इस पर किसी रूलिंग देने या प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह तो हमारा अधिकार है कि श्रीमन् राजप्रमुख ने जो एड्रेस दिया है उस पर अमेन्डमेन्ट (संशोधन) पेश कर सकते हैं। उस पर जो बोलना चाहते हैं वे बोलेंगे। इस पर मैं समझता हूं कि चेयर (चेयर) को न कोई रूलिंग देने की आवश्यकता है न लेने की।

माननीय अध्यक्षः-श्री मंगलसिंह प्रस्ताव रखें।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः-(विरोधी दल के उप-नेता):-

जो सुझाव आपके सामने आज की कार्यवाही के प्रति रखा गया है क्या हम यह समझें कि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं ? शायद बेहतर होता यदि हाउस के नेता इस बात पर रोशनी डालने की कृपा करते।

श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री)

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं जरा लेट आया था इस लिए मैं पूरी बात सुन न सका फिर भी जितना समझ सका हूं उससे मेरा ध्यान यह बनता है कि शायद माननीय सदस्य का कहना है कि राजप्रमुख का जो एड्रेस हाउस के सामने है उसमें अमेन्डमेन्ट रखने का उनको अधिकार है। उस पर यहां जितने बोलने वाले हैं उनके नाम अध्यक्ष महोदय के पास आवें उनके अनुसार उनको समय देंगे और विशेष पूछने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आगे श्रीमान् जैसा ठीक समझें।

श्री मंगलसिंहः-

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिए जो मुझे प्रस्ताव करने की आज्ञा मिली है वह मैं इस प्रकार इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्यगण, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ है।"

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिए, जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, हम कृतज्ञ हैं। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मैं यह निवेदन

करना चाहता हूं कि राजस्थान भारत का गौरव है। राजस्थान वह प्रदेश है जो अपने त्याग और तपस्या एवं देशभक्ति के लिये सब तरह के त्याग और तपस्या में आरुढ़ होता रहा है। इस देश के इतिहास में अपने इस प्रदेश का स्थान बड़ा ऊंचा रहा है और आज से नहीं, पिछले सकड़ों ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से जब देश पर कोई आपत्ति आई है तो सैकड़ों वीरों और वीरांगनाओं ने जो त्याग, तपस्या, देशभक्ति और वीरता का परिचय दिया है वह भारत में ही नही वरन् अन्य देशों में भी इसकी समता पाना कठिन है। यह प्रदेश हमेशा से, अपन त्याग और तपस्या एवं देशभक्ति एवं वीरता से अपने प्रदश का गौरव रखता रहा है और सारे भारत के विकास और उन्नति में विशेष भाग लेता रहा है । इस प्रदेश को जो बात सबसे ऊंचा उठा रही ह वह यह ह कि समय समय पर परिवर्तन के समय उसके अनुसार अपने आपको ठीक करना और समयानुसार काम करने की क्षमता रखना–यह विशेष गुण इस प्रान्त का रहा है। इस देश में पूर्व समय में आक्रमणों के समय जो लोहा लिया, देश की रक्षा के लिए जो जो त्याग किये और वीरता का परिचय दिया ह वह इतिहास बतलाता है । इसी प्रकार से जो इस युग में परिवतन हुए ह उनके अन्दर भी इस प्रदेश के लोगों ने जो क्षमता दिखलाई है वह प्रशंसनीय है। हमारे यहां के राजा महाराजे, रईस और जागीरदारों ने भी समय को परिवर्तित होते देख कर जो त्याग और तपस्या एवं देशभक्ति का परिचय दिया है; वह भी हर्ष की बात है। जो हमारा गौरव था उसको कायम रखा है । हिन्दुस्तान के एकीकरण में जो भाग इस प्रदेश के राजा महाराजाओं ने लिया ह वह विशेष स्थान रखता है । सरदार पटेल ने जो देश के एकीकरण का प्रयत्न किया वो शायद कठिन होता यदि इस प्रदेश के राजा महाराजाओं ने भक्तिपूर्ण सहयोग नहीं दिया होता। जिस प्रसन्नता के साथ, जिस तत्परता के साथ इस कार्य में उन्होंने योग दिया वह प्रशंसनीय है। इस देश के इतिहास में यह याद रखने लायक बात होगी। जिन लोगों ने इस प्रदेश के अपने भू भाग पर राज्य किया, देश के एकीकरण के लिए इस प्रसन्नता से उसका त्याग कर देश का एकीकरण कर दिया। मैं इसी प्रकार अपने जागीरदारों भाइयों की भी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने, जिस प्रकार राजनैतिक एकीकरण के लिए राजाओं ने त्याग किया उसी प्रकार हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए; किसान और दूसरे वग के उत्थान के लिए जिस प्रसन्नता के साथ जागीरों के प्रदेश के हित समपित कर दिये, हमारे लिए विशेष प्रसन्नता की बात है। इस प्रकार हमारे श्रीमन् राजप्रमुख ने इस प्रदेश के लिए जो बातें कहीं है वह समझने लायक है। उन्होंने यह बतलाया है कि हमारे चुनाव के पहिले जो जिम्मेवारी उन पर आई हुई थी वह उन्होंने इतनी कठिनाई से पूरी की । प्रदेश के एकीकरण के अन्दर जो छोटे छोटे युनिट थे, जिनके अन्दर भिन्न भिन्न प्रकार के न्यायालय, भिन्न भिन्न प्रकार के कानून–नियम, भिन्न भिन्न प्रकार के राज्य कर्मचारियों के वेतन और तरीके थे उनका एकीकरण किया, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। इस एकीकरण के अन्दर बहुत समझदारी के साथ काम किया गया; लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनमें त्रुटियां रही हों। किन्हीं कर्मचारियों को अधिक लाभ हुआ, किन्हीं को कम; लेकिन सभी को कुछ न कुछ लाभ अवश्य हुआ है। फिर भी यह

हो सकता है कि कुछ को हानि भी हुई हो। लेकिन इस हानि तक लाभ को भुलाकर सरकारी कर्मचारियों ने जिस तत्परता और त्याग के साथ कार्य किया, वह प्रशंसनीय है। हमारे सामने श्रीमन् राजप्रमुख ने कहा है कि इस प्रदेश को बनाने में जिन सरकारी कर्मचारियों व दूसरे वर्ग के लोगों ने योग दिया है वे आगे भी इसी प्रकार योग देते रहेंगे। मुझे इसमें कोई सन्दे नहीं कि इस थोड़े से अरसे में जो कुछ काम किया गया वह सर्वथा प्रशंसनीय है। हमारे इस पुराने लेकिन इस नये प्रदेश में जो कुछ काम बाकी रह गया ह वह भी शीघ्र पूरा किया जायगा। श्रीमन् राजप्रमख ने एकीकरण करके जो यह भवन हमारे सुपुर्द किया है और उसके साथ जो जिम्मेदारी हमको दी है हमारा कर्तव्य है कि उसका पूर्णतया पालन करके इस भवन के अन्दर प्राण प्रतिष्ठा कर सकें; यह इस भवन के सदस्यों का काम है। हमारे सामने अब यह सवाल ह कि यह जो भावना एकीकरण करके और जागीरदारी उन्मूलन कर किसान के ऊपर से वजन हटाने की जो तसवीर हमारे सामने है उस तसवीर के अन्दर उत्साह पैदा करना और प्राण प्रतिष्ठा करना इस सदन का कार्य है। यह करने के लिए हमारे सामने बहुत कठिनाइयां है।

सबसे पहली कठिनाई जो हमारे सामने श्रीमन् राजप्रमुख ने रखी है वह है खाने की। हमारे सामने खाने का प्रश्न बड़ा भारी है। यह प्रश्न केवल इस प्रदेश का ही नहीं किन्तु सारे देश का है। बहुत से पढ़े लिखे लोग प्रश्न कर बैठते हैं कि हिन्दुस्तान की संख्या वही है, भूमि वही है, तो यहां अन्न की कमी किस प्रकार हो गई? मैं आपके सामने इस बारे में इतना कहना चाहता हूं कि जिस समय देश का विभाजन हुआ पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दो देश बन गये। पाकिस्तान के हिस्से में जनबल का २२ फीसदी हिस्सा पड़ा और २२ फीसदी लोग उधर गये और हिन्दुस्तान के हिस्से में ७८ फीसदी आये। अब अन्न की दृष्टि से देखिये तो ४५ फी सैकड़ा गेहूं के खेत पाकिस्तान के हिस्से में चले गए और ७८ फी सदी लोगों के लिए केवल ५५ प्रतिशत भाग, गेहूं के खेतों का हिन्दुस्तान के हिस्से में आया। आप देखेंगे कि ४५ फी सैकड़ा भाग जमीन का जिसमें गेहूं पैदा होता था पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ५५ प्रतिशत भाग जमीन का जिसमें गेहूं होता है हिन्दुस्तान के हिस्स में आया जब कि हमको ७८ फी सदी व्यक्तियों को खिलाना है। इसलिये गेहूं की कमी हमारे सामने है और संभवतः और कुछ दिन रहेगी। इसी प्रकार चावल का भी हाल है। जो चावलों की खेती है, अच्छे खेत हैं, वे ३० फी सदी पाकिस्तान के हिस्से में आये और ७० फीसदी हमारे हिस्से में। जब कि पाकिस्तान को खिलाना है केवल २२ फीसदी को। जब हमारे पास ७० फीसदी चावलों की खेती है और हमें खिलाना है ७८ फीसदी को। इस प्रकार इन दोनों अनाजों के बारे में जो समस्या हमारे सामने है वह हमको सुलझानी होगी। इसके अलावा एक यह बात भी है कि जो जमीन पाकिस्तान के हिस्से में है, हमारे उन खेतों से, जिनमें गेहूं वोया जाता है, अच्छी है। जो गेहूं की कमी की तसवीर हमारे सामने है उसके बारे में हमको यह भी ज्ञात होना चाहिये कि हमारे प्रदेश की एक विशेष कठिनाई यह भी है कि हमारा वह प्रदेश जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, पहिले हमको उससे आसानी से अनाज मिला करता

था; वह अनाज अब नहीं मिलता है। इसलिये भारत के साथ साथ, हमारे प्रदेश में भी एक विशेष प्रकार की कठिनाई पैदा हो गई ह।

लेकिन हमारी सरकार, जैसा कि श्रीमन् राजप्रमुख ने बतलाया है, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को पेशगी और हर प्रकार की सुविधा आदि दे रही हैं। उनको खेत का मालिक बनाया जा रहा है, उनके साधन बढ़ाये जा रहे हैं। इस सिलसिले में ही किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, किसानों क ऊपर से वजन हटाने के ख्याल से जागीरदारी और जमीनदारी उन्मूलन का सवाल उठा है। जागीरदारों या जमीनदारों से कोई विरोध नहीं है; केवल किसानों के ऊपर से वजन हटाने के लिये यह किया गया ह और किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जिस समय किसान हल लेकर आषाढ़ के महीने में खेत जोतने के लिए निकलता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है और जब वह अपने खेत के पास पहुंचता है तो जागीरदार या जमींदार का आदमी उसको बुलाने आता है; बुलाकर ले जाता ह और उसको हुक्म दिया जाता है कि पहिले हमारे खेत को जोत दो तब अपना जोतना । तब वह किसान बेमन से बेचारा क्या कर सकता है, उस जागीरदार या जमीदार का खेत जोतने चला जाता है। उसका मन तो अपने खेत में लगा रहता है लेकिन शरीर जागीरदार या जमीदार के खेत में काम करता है। इससे होता क्या है कि जमीदार या जागीरदार क खत में भी संतोषजनक कार्य नहीं होता। कम अनाज होता है। और उसक अपने खेत में भी, चूंकि जब वह अपने खेत में पहुंचता है समय निकल जाता ह और वह पूरा काम नहीं कर पाता है, अनाज कम होता है, इस प्रकार दोनों खेतों में अनाज कम होता है। इसका असर सारी जनता और राष्ट्र पर पड़ता ह। खेतों में अनाज भरपूर हो इसी कारण जो खेत जोते उसका सारा श्रेय उसको मिले और जितनी भी वह महनत करे, अन्न उपजाव वह उसकी झोंपड़ी में जाय। दूसरा उसकी कमाइ का भाग न ले सके।

दूसरी सहायता जो किसानों को देने की है वह यह है कि हमारे प्रदेश में विशेष रूप से जो पानी की कमी है उसको पूरा करना है। हमारे यहां मेहनत ह, आदमी ह। खेत में खाद भी डाली जा सकती है, लेकिन किसान बेचारा पानी के लिए क्या कर सकता है? श्रीमन राजप्रमुख ने अपने भाषण में खेती के लिए सिंचाई के बड़े बड़े साधनों को बतलाया है कि हम चम्बल वर्क्स बना रहे हैं, व भाखरा डेम बना रहे हैं। छोटी छोटी जगहों में भी सिंचाई के लिये ट्यूब वेल (पाताल तोड़ कुंओं) आदि का प्रबन्ध हो रहा है। सिंचाई का प्रबन्ध जैसा कि सोचा गया है वह होने पर हमारे प्रदेश के अन्दर अनाज की यह कठिनाई दूर की जा सकेगी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि और भी कठिनाइयां हे जो श्रीमन् राजप्रमुख ने रखी हैं उनमें से दूसरी जो बड़ी कठिनाई आई है वह है लॉ एन्ड आर्डर (कानून और व्यवस्था) की। जिस प्रदेश में अमन नहीं है वह प्रदेश कोई तरक्की नहीं कर सकता है, जहां शांति और व्यवस्था नहीं वहां किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती। एज्युकेशन (शिक्षा) और दूसरी चीजें शांति के बिना नहीं हो

सकतीं। इस शान्ति स्थापना का जो विशेष प्रश्न हमारे सामने आया ह वह इसलिये आया है कि एकीकरण के पहिले यहां हर एक युनिट (इकाई) में फौजें रहा करती थीं और वह पुलिस को मदद दिया करती थीं। पुलिस उनके भरोसे हिम्मत के साथ काम किया करती थीं। अब फौजों के नहीं रहने के कारण जो पुलिस बनी है वह अर्धफौजी काम करती है। अपनी पूरी मेहनत करने के बावजूद भी वह इस कठिनाई को पार नहीं कर सकी है। कोशिश की जा रही है कि वह इस कठिनाई को पार कर सके। वह वर्ग जो अब तक लॉ एन्ड आर्डर (कानून और व्यवस्था) बनाये रखने के लिए विशेष सहायता किया करते थे उनकी सहायता की विशेष आवश्यकता है। सभी लोग मिलकर यदि लॉ एन्ड आर्डर (कानून और व्यवस्था) के प्रश्न का हल करने में लगे तो यह बात जतना के सहयोग से अवश्य पूरी की जा सकती है।

दूसरी बात शिक्षा के बारे में यह है कि हमारे प्रदेश में हाई स्कूली उच्च शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामों की तरफ, प्राथमिक शिक्षा की ओर जितना ध्यान देने की आवश्यकता है उतना ध्यान अभी तक नहीं दिया जा सका है। यह आशा की जाती है कि उन पर अधिक ध्यान दिया जायगा। कई जगह हाई स्कूलें खुली हैं उनकी नवीं दसवीं क्लास (कक्षा) में १०-५ लड़के हैं यह इसलिये कठिन हो रहा हे कि प्राथमिकशिक्षा की कमी के कारण उन हाई स्कूलों में इस प्रकार संख्या की कमी है। तो, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर और खासकर दलित जातीय वर्गों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा तो इस प्रदेश में सारे भारत में सबसे कम है। इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इसके बाद स्वास्थ्य, दवाई आदि का प्रबन्ध करना इस प्रदेश में सरकार के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अब तक जो मेडिकल डिपार्टमेन्ट का जो प्रबन्ध रहा है वह शहरों के लिए ही विशेष रूप से रहा है। मैं यह समझता हूं कि इसमें हम अपन पुराने शासकों की नकल करते आये हैं। उनके अपने फौजी और दूसरे प्रकार के अफसरों के लिये ही सरकारी अस्पताल विशेष रूप से काम करते थे और गावों के ऊपर, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी ह, उनके ऊपर इतना विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। मैं समझता हूं कि अब समय बदल गया ह और सरकार द्वारा जो खर्च किया जाय वह गांवों के ऊपर भी करना चाहिये। जैसे जयपुर की मिसाल लीजिये। यहां सरकारी जितने भी डाक्टर हैं, चिकित्सक हैं उन्हीं के मुकाबिले में दूसरे निजी डाक्टर या वैद्य इस शहर में मौजूद हैं और यहां उन डाक्टरों और चिकित्सकों पर सरकारी रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को और उन रुपयों को गांवों में लगाना चाहिये।

मेडिकल के साथ साथ सफाई के महकमे की बात ह। सफाई के बारे में हमारे प्रदेश में मैं यह समझता हूं कि बहुत कमी है। गांवों को तो जाने दीजिय, वहां की दशा तो बहुत दयनीय ह। इस इतने बड़े शहर के अन्दर, जो जयपुर हमारे प्रदेश का केन्द्र है: यहां की गलियों में जो सदस्यगण कभी गये ह तो वे यह बतला सकते है कि इन सड़कों की सफाई के मुकाबिले में उन

गलियों की क्या हालत है? जहां दरअसल लोग रहते हैं वहां अगर सफाई नहीं है तो यह सड़क की सफाई हमारे स्वास्थ्य को नहीं बढ़ा सकती। इसलिये उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्रीमन राजप्रमुख ने हमारे यहां म्युनिसिपल बोर्ड, ज़िला बोर्ड, पंचायतों की स्थापना आदि का जिक्र किया है। उन्होंने यह बतलाया है कि वे लोग स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर जो स्वास्थ्य की आवश्यकतायें हैं वह अपने आप उनका प्रबन्ध करें। यह ठीक है कि जयपुर में म्युनिसिपेलिटी है और इसी प्रकार से कुछ शहरों में म्युनिसिपेलिटियां है। मै समझता हूँ कि वे नाममात्र की है। उनमें जान डालने की आवश्यकता है। उनके अन्दर कुछ लोगों, को ऐसे लोगों को जो जानकारी विशेष रूप से उस विभाग की जानकारी रखते हों, उस तरफ ध्यान देने की जरुरत पड़ेगी। मैं समझता हूं कि जब हमें सफाई और मेडिकल हैल्प (चिकित्सा सहायता) ठीक नहीं मिलती है, तो देश के जो लोग है, दश की जो जनता है, वह तन्दुरुस्त नहीं हो सकती।

अत:एव जब तक हम हमारे हरेक मनुष्य के लिए खाना, कपड़ा, मकान, दवा और शिक्षा, इन पांच चीजों का, प्रबन्ध नहीं कर लते, तब तक दूसरा काम करना हमारे लिए रुपये का अपव्यय होगा। मैं समझता हूं कि सदन के सदस्य इस ओर विशेष ध्यान देकर और श्रीमन् राजप्रमुख ने जो सलाह और जो आदेश अपने अभिभाषण में दिये है उसके आशय को पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने उस प्रस्ताव को पढ़कर सुना देता हूं जो प्रस्ताव श्रीमन् राजप्रमुख क भाषण पर प्रस्तुत किया है।

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्यगण, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

मै आशा करता हूं कि हमारे साथी चाहे दूसरी ओर बैठे हों, इस प्रदेश की उन्नति के लिए एक स्वर से, एक हृदय से उनके बताये हुए सुझावों को कार्य रूप में परिणत कराने के लिए सदैव तत्पर होंगे। मैं यह भी उनके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिन लोगों ने इस प्रदेश और देश के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं करके हर प्रकार के त्याग और तपस्या का परिचय दिया है, आज भी सब मिलकर हम सब लोग इस प्रदेश की उन्नति के लिए तत्पर रहेंगे। "विरोधी" शब्द को तो मैं मानता ही नहीं, लेकिन दो पक्ष को मानता हूं। दो पक्ष होना एक पक्षी के लिए आवश्यक है। एक पक्ष से वह उड़ नहीं सकता है। इसलिए दो पक्षों को मिला कर इस राज्य–रूपी पक्षी को हमे सुगम बनाना है और उसके उड़ने का ऐसा तरीका रहे कि न वह इधर जाय और न उधर जायें मेरे कहने का यह मतलब है कि जो दूसरा पक्ष है वह यह देखे कि एक पक्ष जो राज्यकार्य चलाता है वह गलती पर तो नहीं चल रहा है। अगर वह गलती पर चलता है तो उसका सुधार करने का भार दूसरे पक्ष पर है। जो मित्र इस काम को करते हैं वे उतने ही महत्वपूर्ण काम करते हैं, जो पक्ष इस कार्य

को चलाने में करता है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के सहयोग से हम इस प्रदेश को, फिर उतना ही ऊंचा, नहीं–नहीं, उससे भी ऊंचा उठाकर, संसार का शिरोमणि बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं।

(करतल ध्वनी)

माननीय अध्यक्षः—श्री मथुरादास माथुर इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री मथुरादास माथुरः—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री मंगलसिंहजी ने अभी पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव का समर्थन करने के मायने यह होते हैं कि श्री राजप्रमुख ने अपने भाषण में सरकार की नीति पर जो रोशनी डाली है मैं उसका समर्थन आपके समक्ष करूं। सरकार की किसी भी नीति का समर्थन, जिसके लिए हम खड़े हों, तब ही मिल सकता है जब कि वह नीति राजस्थान को समृद्धिशाली बनाए आज इस देश के सबसे बड़े प्रान्त, इस देश की सबसे बड़ी रियासत, के विषय में श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में फरमाया कि सन् १९४९ में राजस्थान का निर्माण हुआ और आज उसको ३–४ साल का अर्सा होगया इस रियासत को समृद्धिशाली बनाने के लिए, अध्यक्षजी, हम सब इस धारा सभा के सदस्य, इस बात का प्रयत्न करें कि यह हमारा प्रान्त, यह हमारी रियासत समृद्धिशाली बने। इसलिये श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में जो सरकारी नीति पर रोशनी डाली गई है हमें उसको गौर से देखना है और उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। हमें यह देखना है कि क्या राजस्थान दूसरी रियासतों में भी अपना सिर ऊंचा उठाकर रह सकेगा, जैसा कि उसका पुराना गौरव रहा हैं। मैं, अध्यक्षजी, आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो नीति श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने कल के भाषण में अपने सामने रखी है उसको मैं ३ हिस्सों में बांटता हूं। सबसे अव्वल तो किसान और कृषि के मुतल्लिक, दूसरी जो उन्होंने इस देश के, इस प्रान्त के उद्योगीकरण करने के मुतल्लिक और तीसरी जनता के फायदे के लिए जैसे शिक्षा दवाई–दारू और अन्य वस्तुओं के मुतल्लिक। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान समृद्धिशाली तभी बन सकता है, जब कि हमारी, इस राजस्थान की माली हालत अच्छी हो। वैसे चाहे बड़ी २ नीतियां हों, बड़े २ कार्यक्रम हों, परन्तु जब तक माली हालत ठीक नहीं होती प्रान्त आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिये मैं इस योजना को उस निकट निगाह से भी देखता हूं कि जो भी योजनाएं बनाई गई है क्या उससे इस प्रान्त की, हमारी इस रियासत की, माली हालत अच्छी हो सकेगी। हमें गौर से देखना है अपने पहले ३–४ साल के बजटस को, जो कि समय समय पर प्रस्तुत किये गए हैं। आगे भी जो ७ तारीख को बजट सामने आएगा उसको भी हमें गौर से देखना है और इसी से अन्दाज लगेगा कि हमारी माली हालत कैसी रही है? इससे भी जरूरी यह है कि हमारे यहां पर उद्योग धन्धे बढ़ें, हमारे यहां प्रोडक्शन के तरीकों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय। हमारे यहां ऐसे तरीके निकाले जायं, ऐसे साधन निकाले जाय जिससे हमारे यहां की हालत अच्छी हो सके। श्रीमन

राजप्रमुख ने अपने भाषण में कुछ जरूरी बातों पर प्रकाश डाला है। मैं हाउस के सामने उन्हें कुछ ही लफ्जों में दोहराना चाहता हूं।

उत्पादन बढ़ाने के लिए एक तो इस चीज की बहुत ही आवश्यकता है कि जो चीजें जमीन में पैदा होती हैं उनके साधन बढ़ाए जायें। किसानों को मौका दिया जाय कि वे ज्यादा से ज्यादा अनाज, कपास तथा और २ चीजें भी पैदा कर सकें। दूसरा, उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे यहां पर कारखानों का उद्योगीकरण किया जाय और कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो बहुत पहिले से चल रही है, उनको प्रोत्साहन दिया जाय। हमारे यहां पर सरकारी तौर पर कारखाने खोले जायें, हमारे यहां जो छोटे २ उद्योग धन्धे हैं उनको आगे बढ़ाया जाय। ये सब बातें जो उन्होंने अपने भाषण में कल हमारे सामने कही थी अगर उन पर अमल किया जाय और उनका हाउस अलग २ कानून बनाकर अमल में लाए तो उत्पादन बढ़ेगा, हमारे साधन बढ़ेंगे और हमारा प्रान्त समृद्धिशाली होगा। हमारी माली हालत ठीक होगी और शिक्षा, तथा अन्य दवाई-दारू आदि जिन साधनों की हम मांग करते हैं, उन्हें पूरा कर सकेंगे। इस हेतु सबसे अधिक आवश्यक है हमारे यहां पर उत्पादन के साधन बढ़ाना। जो जमीन की योजनाएं रखी गई हैं, इस सम्बन्ध में जो कानून बने हैं उनको हम गौर से देखें। जवाई का बांध जो जोधपुर डिविजन में बन रहा है और काफी बन चुका है, चौथाई काम जिसका खत्म हो चुका है और साल डेढ साल में पूरी तौर पर यह बांध तैयार हो जायगा और वह काफी जमीन की सिंचाई के काम में आ सकेगा। दूसरी जोजना भाखरा बांध की है। जिसका हिस्सा बहुत बड़ी तादाद में मिलेगा। पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार इसके लिए प्रयत्न कर रही है। चम्बल के बांध से १० स १२ लाख एकड़ जमीन जो हमारे यहां बेकार पड़ी हुई है उस पर उत्पादन हो सकेगा। हमारे यहां किसानों की हालत को सुधारने में ये बांध काम में आ सकेंगे। इसके साथ ही श्री राजप्रमुख ने यह भी बताया है कि चम्बल का बांध प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सन् १९६० तक पूर्ण रूप से तैयार हो सकेगा; पर सन् ५४-५५ तक दो लाख एकड़ जमीन राजस्थान में जो बंजर पड़ी हुई है वह उपजाऊ हो सकेगी। इससे हमें पूरी तसल्ली है कि इससे हमारी आर्थिक हालत भी सुधरेगी, और जो अनाज बाहर से आता है वह भी रुक जायगा। बाहर से अनाज मंगाने में जो ६५ लाख रुपया सरकार को तकसीम के रूप में खर्च करना पड़ता है, वह नहीं करना पडेगा। इसलिये हमें हमारा भविष्य भी बहुत उज्जवल नजर आता है। तीन बड़े २ बांध बनने की योजना सरकार के सामने है। इन तीनों बांधों के बन जाने से और छोटे मोटे तालाबों के बनने से व दूसरे तलाबों की मिट्टी आदि निकल जाने व मरम्मत हो जाने से मुझे पूरा विश्वाश है कि राजस्थान दूसरे प्रान्तों से अनाज के मामले में कभी कमी वाला नहीं रहेगा। गंगा नहर और गंगानगर की मंडी जिसका जिक्र किय गया है हमारे यहां अनाज की समस्या को हल करने के लिये एक साधन बन गया है। इसलिये मुझे आशा है कि ३, ४ या ५ वर्षों के बड़ा पश्चात् जब हम, इस विधान सभा की जितनी मयाद है उसके बाद इस भवन से निकलेंगे तो हम अपना सर उठा कर लोगों से यह कह सकेंगे कि हमने राजस्थान को समृद्धिशाली बनाने में पूरा योग दिया है।

बड़ी बड़ी नदियां, बन्ध इत्यादि से ही राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि जमीन पर काम करने वाले काश्तकारों व मजदूरों की माली हालत ठीक नहीं की जावेगी। जब तक उनको यह विश्वास न हो जावगा कि जो कुछ वे पैदा करेंगे उसका सबसे बड़ा हिस्सा उन चन्द लोगों के हाथ में न जाकर आम लोगों के हाथ में आवेगा तब तक हमारा कार्य अपूर्ण ही रह जाता है। अधिक धान पैदा करने की राजस्थान की जो पोलीसी (नीति) थी वह पूरी तौर से फलीभूत नहीं हो सकी, अमल में नहींआ सकी, क्यों कि किसानों में वह जोश नहीं था कि जो कुछ वे पैदा करेंगे वह उनका ही होगा और इस कारण जो पैदावार बढ़नी चाहिये थी,वह नहीं बढ़ी। किसानों को यह डर था, भय था, कि जो कुछ भी पैदा करेंगे उसका बड़ा हिस्सा जमीदारों के हाथ में चला जावेगा और उनके पास सिर्फ चन्द दाने ही रह जायेंगे, जिससे कि अपना सुबह-शाम का गुजारा भी पूर्णतया नहीं कर सकेंगे। इसीलिये हमारे यहां की योजनाएं पूर्णतया कामयाब नहीं हो सकीं। अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख ने अपने भाषण में कहा है कि जागीरदारी रिजम्पशन, १९५२ में जो जारी किया गया है और जिसको सदस्यों ने पढा है वह कानून पूरी तरह से अमल में लाया, जायगा जिसकी मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। रजप्रमुख के भाषण और राजस्थान सरकार के वायदों पर हमें विश्वास करना चाहिये और मुझे आशा है कि विरोधी दल के संदस्य भी इसको अमल में लाने में पूरा पूरा सहयोग देंगे, जिससे हमार प्रदेश समृद्धशाली बन सके और किसान जिनकी की रीड की हड्डी टूट गई है, उसकी गरीबी हालत भी ठीक हो सके और उसके साथ साथ हमारे प्रान्त की हालत भी ठीक हो सके। इसलिये मैं सरकार और राजप्रमुख को इसके लिये बधाई देता हूं कि जिन्हों ने अपने भाषण में इस बात का खुलासा किया और जोर दिया है (करतल ध्वनी)। इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में बड़ी प्रयत्नशील है। हमारे यह कई कानून बन चुके है और बाकी बनाये जा रहे हैं। टिनेन्सी बिल, लेंडरेवेन्यू बिल, सेटलमेंट ओपरेशन, प्रोटेक्शन आफ टीनेन्टस आदि जितने भी कानून कायदे बनाए जा रहे हैं और जिसका आश्वासन हमें दिया गया है, वे बनाये जायेंगे और बन रहे है। राजस्थान किसी भी प्रान्त से पीछे नहीं रह सकेगा। जब राजस्थान हिन्दुस्तान के किसी दूसरे प्रान्त से पीछे नहीं रह सकेगा तो हम भी अपना सर उठा कर आगे बढ सकेंगे। यदि ये सब बातें पूरी हुई और समाज के ढांचे में अनुकूल परिवर्तन हुआ तो मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान आगे बढ़ेगा। इसलिये मै राजप्रमुख के अभिभाषण की ताईद करता हूं।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की उन्नति हमारी सरकार की उद्योगीकरण नीति पर निर्भर करती है। जमीन से जितनी चीजें पैदा होती हैं उनका उत्पादन बढ़ाया जावे तो हमारी हालत ठीक होगी। मूल हालत को ठीक करने के लिए राजप्रमुख ने जो बातें अपने भाषण में कही हैं, माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ देश है। मगर अब वह वक्त आया है जबकि राजस्थान के पास बहुत साधन है क्योंकि अब सारे राजस्थान का एकीकरण हो जाने से राजस्थान के पास

साधन बढ़ गये है। हमारे राजस्थान में जिपसम, माइका आदि ऐसे ऐसे पदार्थ है जो दूसरे हिन्दुस्तान के हिस्सों में नहीं मिलते। अभी कुछ दिन पहिले सिन्दड़ी में सीमेन्ट फेक्ट्री का उदघाटन करते हुए पंडित नेहरू ने बताया था कि इस देश म निकल हुए पदार्थ अन्न-उत्पादन बढ़ाने में बहुत उपयोगी हैं जो दूसरी जगह उपलब्ध नहीं होते। आज राजस्थान को गौरव ह कि सिन्दड़ी सीमेन्ट फेक्ट्री का सबसे बड़ा कारखाना हमारे यहां ह । जिपसम, जिसको जोधपुर बीकानेर की तरफ नागोरी खड़ी कहते है, जोधपुर और बीकानेर के इलाकों में सबसे ज्यादा पदा होती है । हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद और पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद में यह हमारे यहां भारतवर्ष में सबसे अधिक मिलती है। हमार यहां जिस प्रकार जिपसम की एक फेक्ट्री चल रही है वसी फैक्ट्रीज बहुत चल सकती है जो आगे चल कर सारे देश की माली हालत को ठीक कर सकती हैं। हम दूसरे प्रान्तों को अपना सामान देकर उनसे दूसरी चीजें ले सकते ह और राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे यहां मकराने के पास वूल्फ़म, निकलता है जिसको लोहे में मिलाने से स्टील बन जाता है। हमारे यहां का पत्थर बहुत प्रसिद्ध है । जैसलमेर, जोधपुर और मकराने में संगमरमर आदि बहुत पैदा होता ह। इन सब धन्धों को सही तौरपर सरकार मदद करके, उद्योगों को चलाने में मदद करे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते ह। और हमारी माली हालत ठीक हो सकती है। यदि आज ताजमहल की शान दीख रही ह तो उसका श्रेय राजस्थान को ही है। विक्टोरिया भवन हमारे यहां की इंटों और पत्थरों से बना है। हमारे पत्थरों और ईटों ने किस प्रकार इन भवनों की शान को रखा है यह किसी से छिपा नहीं है। हमारे यहां की ऊन, जिपसम, पत्थर आदि बाहर जाकर भविष्य में हमारी आमदनी बढ़ावेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है और हम लोग इसे इन्डस्ट्रीज के रूप में आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देंगे। क्या किसी के दिमाग में यह बात है कि राजस्थान अलग रह कर उन्नति कर सकता? में भी यही कहूंगा कि राजस्थान अलग अलग रियासतों में रह कर उन्नति नहीं कर सकता था, जितना अब कर सकता है। यह मैं मानता हूं कि राजस्थान का एकीकरण होने से पहिले अलग अलग रियासतों में जियोलोजिकल सर्वे हमारी माली हालत ठीक न होने से, न हो सकती थी। इसके लिए हम कोई कमेटी नहीं बिठा सकते थे। लेकिन अब राजस्थान एक हो जाने के बाद यह काम बड़ी आसानी से कर सकते ह। मुझे मालूम ह कि जोधपुर और जयपुर ने तो जियोलोजिकल सर्वे के लिए एक कमेटी बिठाई थी और उसने अपनी रिपोर्ट भी दी, जो हमारे पास मौजूद है। लेकिन छोटी छोटी रियासतें यह नहीं कर सकती थी मारे उदयपुर के अरावली पहाड़ों में कई खनिज पदार्थ भरे पड़े है जिनकी अभी तक पूरी खोज न हो पाई है। हमारे यहां उदयपुर में माइका जितना अच्छा निकलता है हिन्दुस्तान में दूसरी जगह कहीं नहीं निकलता, इसके लिये हमें गौरव है। हमें उद्योगीकरण की ओर ध्यान देना चाहिये। यदि इस ओर जल्दी ध्यान दिया गया तो मैं समझता हूं कि राजस्थान उद्योगीकरण में बहुत जल्दी आगे बढ सकता है। हमारी बालू मिट्टी जो धान पैदा नहीं कर सकती है धन पैदा कर सकेगी । मगर इसके लिये साधनों की जरूरत है। एकीकरण के बाद जब हम सब एक हो गये है तो हमें उद्योगीकरण के लिये लोगों को सहायता देनी चाहिये। हम देखते हैं कि बहुत से लोग छोटी मोटी

फेक्ट्रीज खोलते हैं, मगर कुछ ही दिनों के बाद वे बन्द हो जाती हैं। इसका खास कारण यही है कि सरकार की तरफ से उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता। कोई भी फेक्ट्री चाहे वह सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी, वगैर प्रोत्साहन के जिन्दा नहीं रह सकती। हमें देश की उन्नति के लिये उद्योगीकरण की नीति का स्वागत करना चाहिये। जो लोग इसमें आगे आते हैं उनको हमेशा यह भय रहता है कि वगैर प्रोत्साहन के वे जिन्दा नहीं रह सकते। हमें उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहिये कि छोटे मोटे उद्योग धन्धे नहीं मरेंगे और सरकार उनको पनपने के लिये प्रोत्साहन देगी और पूरी मदद देगी। आपने श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण को पढ़ा होगा। उसमें और भी तफसील में बताया गया है, मगर मैं उसको दोहरा कर आप लोगों का समय लेना नहीं चाहता। उसमें और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। हमारे यहां पर सर्वे करवा कर लोगों को, जिनकी यह राय है कि हमको साधन नहीं मिलते, उनको साधन जुटाना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि साधन नहीं मिलने का कारण सामन्ती ढांचा ही था। सामन्ती ढांचा होने के कारण हमारे यहां उद्योगीकरण नहीं हो सका और इसी लिये हमारे यहां के रहने वालों को बम्बई, कलकत्ता आदि बाहर के शहरों में उद्योगीकरण के लिये जाना पड़ा। वे लोग फिर अपने मुल्क में आना चाहते हैं। यदि सरकार उनको सहयोग दे तो राजस्थान का उद्योगीकरण हो सकता है। उद्योगीकरण होने के माने यह होंगे कि हमारी माली हालत अच्छी हो जावेगी और राजस्थान का बजट-जो घाटे का बजट है, नहीं रहेगा।

इसके अलावा राजस्थान में जनता की मांगें सामन्तशाही शासन से निकल जाने के बाद बहुत बढ़ गई है क्योंकि सामन्तशाही के जमाने में उनकी मांगें दबी हुई थीं। वे मांगें जगह जगह से आ रही हैं और अब पूरी हो सकेंगी।

मै इन दो बड़ी सरकारी नीतियों का समर्थन करता हुआ दो बातें और अर्ज करना चाहता हूं और यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे देश का उद्योगीकरण हम किसी निश्चित कार्यक्रम बना कर करें। हमारा कार्यक्रम यह हो कि हमें जमीन से ज्यादा से ज्यादा चीजें पैदा करनी हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को पहुंचे। हमें चाहिये कि हम सामन्ती ढाचें को बदलने के लिये कुछ उपाय सोचें।

साथ ही साथ राजप्रमुख के भाषण में जो बातें कही गई हैं उनको मैं फिर नहीं दोहरा कर यही कहता हूं कि वे तभी पूरी हो सकती हैं जब हमारे देश में अमन चैन हो। हमारे यहां सुख-शान्ति तभी हो सकेगी जब हमारे यहां आम लोगों को विश्वास हो जायगा कि जो कुछ वे पैदा करेंगे, जो कुछ भी उनको पसीने की गहरी कमाई से पैदा किया जावेगा, वह उन्हीं के पास रहेगा और उनका धन डकैती के जरिये चला नहीं जावेगा। जो लॉलेसनेस, राजस्थान में अभी देखने को मिल रही है वह भारत के इतिहास में पहिले कभी नहीं देखने को आई। राजप्रमुख के भाषण में यह बतलाया गया था कि जुर्मों के आंकड़े १९५२ में सन् १९५१ के आंकड़ों से कम हैं। हो सकता

है कि जुर्म छोटे मोटे कम हुए हों। मैं उन पर चर्चा करना नहीं चाहता । मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि डकैतिया तो बढ़ी है और निश्चित रूप से बढ़ी है । इससे हम इन्कार नहीं कर सकते। इस चीज को रोकने के लिये राजस्थान का हर एक इन्सान आगे बढ़े, चाहे वह किसी तरफ बैठा हो। वह इस बात की कोशिश करेगा कि डकैतिया और दूसरे जुर्म न होने पावें। और सरकार हर तरह से इस बात की कोशिश करेगी कि जो लॉलेसनेस हमारे यहां पर फैली हुई है उसको रोका जाए और मुझे आशा है कि दूसरे लोग भी उसमें सरकार को सहयोग देंगे । इसलिये जो राजप्रमुख के भाषण में कहा गया है कि लालेसनेस को बरदाश्त नहीं किया जाएगा उसका मैं स्वागत करता हूं।

इसके साथ साथ मैं दूसरी बात और अर्ज करना चाहता हूं, अगर माननीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो। इस चीज को मानते आये हैं कि हमारे यहां डिफेन्स लाइन बहुत मजबूत होनी चाहिये। डिफेन्स लाइन में, सिपाहियों के अलावा, दूसरा नम्बर शिक्षा का हैं। क्योंकि शिक्षित लोग ही देश की हिफाजत ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिये शिक्षा का विकास होना हमारे यहां बहुत जरूरी है। राजप्रमुख के भाषण में इस विषय पर जो रोशनी डाली गई है उसका मैं स्वागत करता हू; लेकिन हमारे यहां हम इस बात पर जोर देना चाहिये कि शिक्षा को गांवों में ले जाया जावे और प्रौढ़ शिक्षा बढ़ाई जावे। भारत सरकार की जो योजना है कि १० वर्ष में भारतवर्ष में कोई ऐसा आदमी न रहे जो अंगूठा करता हो। राजस्थान को भी इसमें साथ देना चाहिये । प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया जावे। मगर इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जावे कि टेकनिकल और प्रेक्टिकल चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जावे, जैसे डाक्टरी, इन्जीनियरिंग, आदि ये सब बातें होना जरूरी है। इन्जीनियरिंग कॉलेज, मेडीकल कालेज भी इसके लिये खोले जावें। हमारे यहां माइनिंग का कालेज उदयपुर में खोला जाना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा और आपका ध्यान उस ओर दिलाना अतिआवश्यक समझता हूं । हमारे यहां सवाई मानसिह मेडिकल कॉलेज ह; जिसमें ५ साल हुए लड़के पढ़ते हैं । मगर अभी तक उसको मेडिकल कोंसिल ऑफ इंडिया से रिकोगनिशन नहीं मिला है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस कालेज को मेडिकल कोंसल आफ इंडिया से रिकोगनाइज करवाया जावे। मेडिकल कोंसल ऑफ इन्डिया ने हमारे ऊपर ऐसी कड़ी शर्तें रखी ह और हमने उनमें से बहुत सी शर्तो को पूरा करने का प्रयत्न किया है। अध्यक्ष महोदय, इसकी कोशिश की जावे और इस कॉलेज को रिकोगनाइज करवाया जावे। अप्रेल का महीना आ रहा है। सवाई मानसिह होस्पिटल के साथ साथ आउट डोर होस्पिटल बने तब कहीं जाकर इस मेडिकल कालेज को रिकोगनाइज किया जा सकता है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान, अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा, आकर्षित करना चाहता हू कि आप इसका भरसक प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि हमारे यहां की कालेज को रिकोगनाइज न करवाया जा सके और हमारे लड़के डाक्टर न हो सकें और जो शिक्षा उन्होंने ५ साल में हासिल की है उसका सदुपयोग न कर सकें। श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण का स्वागत करते

हुए मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे यहां एकीकरण हुआ मगर हमारी आम जनता में इसके प्रति एक बड़ा रोष है और जब हम गांवों में घूम ने जाते हैं तो हमें बहुत बुरा भला सुनना पड़ता है कि गवर्नमेन्ट की मशीनरी में बहुत करप्शन फैला हुआ है। जो न्याय हमको सस्ता मिलना चाहिये था बहुत महंगा मिल रहा है। करप्शन में सुधार होना चाहिये। मैं जानता हूं कि हमारे यहां बड़े बड़े अफसर काफी हैं और वे काफी अच्छी तरह से और इमानदारी से काम करते है मगर उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उनके मातहत करप्शन की ओर अग्रसर न हों।

मुझे आशा है कि सरकार, जो बातें राजप्रमुख के भाषण में कही गई हैं उनको अमल में लाकर ठीक करेगी। इन शब्दों के साथ, मैं डा० मंगलसिंहजी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री जसवन्तसिंह:--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार की तरफ से राजप्रमुख के भाषण के लिये उन्हें जो धन्यवाद देने के लिये मेरे मित्र डा० मंगलसिंह ने जो प्रस्ताव रखा और जिसका समर्थन माननीय मित्र श्री मथुरादास माथुर ने किया उसको हमने बड़ी दिलचस्पी और ध्यान से सुना। लेकिन जितनी भी बार हमने इस ओर गौर किया हमें ऐसी कोई बात राजप्रमुख के अभिभाषण में नजर नहीं आई जिसके लिए हम उनको धन्यवाद दें। हमें बड़ा दुख होता है, यह कहते हुए, कि यदि यह भाषण कोई प्रतिक्रियावादी देते तो अच्छा मालूम होता। इस भाषण में सिवाय इसके कि क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये, सिर्फ; थ्योरी का रूप ही दिखाया गया है। क्या उनको करना चाहिये क्या वे करके दिखलायेंगे इस बात पर रोशनी नहीं डाली गयी है। हमारे मित्र ने हमारा सहयोग मांगा है कि हम राजस्थान को शक्तिशाली बनाने के लिये सहयोग दें। जरूर हम सहयोग देंगे--राजस्थान को समृद्धिशाली बनाने के लिये। विपक्षी-दल हमेशा आगे चलेगा। हममें से एक भी ऐसा नहीं है जो इसमें शरीक नहीं होगा। हमारे पूर्वजों की शूरवीरता का जो जिक्र किया गया है वह राजस्थान के पत्थर पत्थर पर अंकित है; उसे हमें बताने की जरूरत नहीं। श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में इस बात की ओर संकेत भी किया है। माननीय मित्र ने भी इस ओर संकेत किया। राजस्थान को समृद्धिशाली बनाने के लिये, कांग्रेसी सरकार भी प्रयत्न करेगी। ऐसी हमें आशा है। हम भी इसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उसमें एक बड़ी भारी शर्त यह है कि वे इस देश को समृद्धिशाली बनाने के लिये आगे चलेंगे न कि पार्टी को मदद करने के लिए आगे चलेंगे। मगर हमें इस बात में सन्देह है।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में यह बतलाया है कि वे सरकार के महत्वपूर्ण कार्य का और सफलताओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। माननीय मगलसिंह और माननीय मुथरादास माथुर ने भी यह बतलाया है

कि पिछले तीन साल से इस सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किये। अभी मेडिकल कालेज के लिये मेरे मित्र ने इतने जोर से सरकार पर आरोप लगाये हैं।

श्री मुथरादास:-नो आरोप।

श्री जसवन्तसिंह:-आरोप तो था ही। क्या तीन साल तक गवर्नमेन्ट ने मेडिकल कालेज के लिये कुछ भी नहीं किया? यहां तक नौबत पहुंच गई है कि हमारे यहां से निकले हुए मेडिकल के छात्रों को कोई डाक्टर नहीं मानेगा; यदि इस कालेज को मान्यता नहीं दी गई। आपने अभी एक महीने पूर्व ही मेडिकल डिपार्टमेन्ट छोड़ा है। आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अरसे में मेडिकल कालेज को मजबूत बनाने के लिये आप ने क्या किया? गवर्नमेन्ट से वे क्या चाहते हैं? यहां तो तीन वर्ष से कांग्रेसी सरकार ही है और इन तीन वर्षों में मेडिकल कालेज की जो हालत बनी है वह आप लोगों के सामने है। आज बीकानेर के अस्पताल से यदि जयपुर मेडिकल कालेज के लिये डाक्टर नहीं भेजे जाते तो इस मेडिकल कालेज का क्या हाल होता; यह यहां बताने की बात नहीं है। बीकानेर में तो जैसे मरीज हैं ही नहीं; सब मरीज जयपुर में आ गये! यहां के मेडिकल कालेज के लिये मैं यह बात कह देना चाहता हूं कि राजस्थान की एक छोटी सी रियासत जयपुर ने अपने प्रयत्न से यहां एक बड़ा भारी मेडिकल कालेज खोल कर बतला दिया। परन्तु कांग्रेस सरकार ने इन तीन वर्षों में इस मेडिकल कालेज की जो हालत करदी है वह यहां बतलाने की बात नहीं है। हमारे बालकों का भविष्य आगे क्या होगा वह उन्होंने खुद ने ही बतला दिया है।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि राजप्रमुख के इस अभिभाषण में हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद दें; यह देखने की बात है। मगर चूंकि विधान सभा है, साफ कहने का कर्तव्य बन जाता है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम विपक्ष की तरफ से एक चीज भी ऐसी नहीं देख रहे हैं जिसके लिए हम राजप्रमुख को धन्यवाद दें।

हमारी कांग्रेस सरकार की हमेशा से यह नीति रही है कि हम राष्ट्र भाषा को सबसे ऊंचा स्थान देंगे। हमारी मातृभाषा को ऊंचा स्थान देंगे: उसको सबके आगे बढ़ायेंगे। इसलिये मैं कल के दृश्य को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जिस प्रकार राजप्रमुख आये उसमें इंगलैन्ड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की नक़ल की गई थी। उन्होंने जिस प्रकार अंग्रेजी में अपना भाषण दिया, जिस प्रकार उन्होंने शब्दों के उच्चारण किये उनसे यह प्रतीत होता था कि हम मानों हाउस आंफ लॉर्ड्स में बैठे बादशाह का भाषण सुन रहे हैं। क्या राजप्रमुख हिन्दी नहीं बोल सकते थे? क्या सरकार की यह ड्यूटी नहीं थी कि कम से कम अध्यक्ष या दूसरे महाशय, उनको बतलाते जो कम से कम उसका हिन्दी अनुवाद करते। हमारा अहोभाग्य है कि हमारे इस हाउस में ५० फी सदी ऐसे सदस्य हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते। हमें अंग्रेजी जानने से मतलब ही क्या है; जबकि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है। वे भी हमें अपना राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम बतलाते; जबकि हमारा प्रोपेगेन्डा सबसे अधिक इस बात का होता है कि हमने हिन्दी

की उन्नति के लिये कमेटी नियुक्त करदी है। कांग्रेस सरकार के लिये यह उल्लेखनीय बात है। जब हम हिन्दी के प्रति प्रेम बतलाते हैं तो यह ठीक होता कि हमारी सरकार, राजप्रमुख यदि हिन्दी में भाषण नहीं दे सकते तो उनके भाषण के हिन्दी अनुवाद का तो प्रबन्ध करती।

अब राजस्थान भूमि सुधार व जागीरों के पुनः ग्रहण का एक्ट १९५२ के सम्बन्ध में बताऊंगा। मेरे माननीय मित्र डा० मंगलसिंहजी ने कितने खुश हृदय से उसके विषय में कहा था। जब वे बोल रहे थे तो उनका दिल पिघल रहा था, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वे कह रहे थे कि जागीरदार कितना अन्याय किसानों के साथ कर रहे हैं--ठीक है। मगर यह अच्छा होता कि एक जागीरी का अन्त करके हमारी कांग्रेसी सरकार जो नई जागीरें खड़ी कर रही हैं उनका भी साथ साथ खत्म करने पर विचार करती। यह जो वितरण कमेटियां जगह जगह चीजें वितरण करने के लिये कांग्रेसी सरकार द्वारा बनाई गई है और जिनमें अपने अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार काम सोंप रही है उनके पास कौनसी ऐसी कामधेनु आ गई है, जो दो या तीन वर्षों में, जिनके पास कुछ नहीं था आज वे हजारपति लखपति, और करोड़पति हो गये हे। [ओब्जेक्शनेबल, (आपत्तिजनक)] क्या यह समय है कि जागीरी जुल्मों का इस प्रकार झूठा प्रोपेगेन्डा फैलाया जाय। (हियर, हियर), अपने खयाल में, जिस किसान की तस्वीर खींची गई है, वह ढोंग करना है। बेचारे गरीब ग्रामीण, जोकि कुछ भी नहीं जानते हैं कि वे किस प्रकार बहकाये जा रहे हैं? किस प्रकार दुनिया की आंखों में रेता फेंका जा रहा है? अब इस प्रकार की बातें चलने वाली नहीं है।

राजस्थान भूमि सुधार और जागीरों के पुनः ग्रहण के एक्ट के मुतल्लिक मुझे यह कहना है कि इस समस्या को यदि आर्थिक समस्या समझी जाय तो इसमें कोई दोष नहीं है। मगर हमें जिस बात का ओब्जेक्शन यानि आपत्ति है वह इस बात की है कि सरकार इस समस्या को एक राजनैतिक समस्या समझती है। (विरोधी दल की ओर से करतल ध्वनि) सरकार इसे राजनैतिक समस्या नहीं समझकर, इसको केवल अपनी पार्टी का फायदा नहीं समझ कर, सबके फायदे के लिये इस समस्या को हल करे। हमारे एक मित्र ने अभी इस वक्त कहा था कि जागीरदारों और राजाओं ने पिछले समय में क्या काम किये? छोटी छोटी बातों के लिये हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े त्याग किये हैं। अगर यह सबके फायदे की बात होती तो हम बड़ी खुशी के साथ इसके मुताल्लिक विचार करने को तैयार होंगे और त्याग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार के फायदे के लिये, उनके खुद के फायदे के लिये, किसानों को धोखा देने के लिए, राजनैतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह चाहें कि हम ऐसा करें तो हम आसानी से उनके धोखे में कभी नहीं आयेंगे। हमें बड़े बड़े आश्वासन दिये गये हैं कि अगर हम राजी खुशी यह कर देंगे तो हमें खुदकाश्त के लिये सुविधायें दी जायंगी। उनको हर तरह से विश्वास में लिया जायगा। लेकिन उन आश्वासनों और विश्वासों पर, हमें अफशोस है कि विश्वास नहीं रह गया है। जिस वक्त एकीकरण हुआ राजाओं से राज्य राजीखुशी से लिये गये थे, जिसका जिक्र हमारे माननीय मित्र ने

किया। उनको क्या क्या आश्वासन दिये गये थे और उनके साथ आज किस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है? उस ख्यातिवाले सरदार पटेल ने राजाओं के लिये क्या कहा था कि दुनिया में त्याग बहुत आदमियों ने किये, हजारों ने त्याग किये हैं, लेकिन राजाओं ने जो त्याग किया है उसका उदाहरण संसार में नहीं मिल सकता है। मगर उन राजाओं का सरदार पटेल की आंखें बन्द होते ही कांग्रेसियों को जहां भी मौका मिला उन्होंने उनका अनादर किया। [ऑब्जेक्शनेबल, (आपत्तिजनक)।] हां आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है। जो आश्वासन दिये गये है उनके बारे में हमें अफशोस है कि उस पर हमें विश्वास नहीं रहा। हमारी मारवाड़ी में एक कहावत है "भूखा धापा पतीजे"। हम उनके कार्यों से समझेंगे कि किस प्रकार हम उनका विश्वास कर सकेंगे।

यह राजस्थान-भूमिसुधार और जागीरों का पुनःग्रहण एक्ट जिसका कि मैं अभी जिक्र कर रहा था, राजनैतिक दृष्टिकोण से है। इस बात से हमें उस पर ऐतराज है। आर्थिक रूप में हमें कोई ऐतराज नहीं है।

जबसे हमारे भारत को इन्डिपेन्डेन्स (स्वतन्त्रता) मिली है, हमें कांग्रेसी सरकारी की तरफ से यह बतलाया गया है कि हम इस भूमि सुधार एक्ट द्वारा जागीरी या जमीदारी को इसलिये मिटा रहे है कि हम भूमि का सुधार कर रहे हैं। हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता मिलने के बाद से ही कांग्रेस ने इस सवाल को बड़ी तेजी से लिया है और जहां तक हमारे राजस्थान का सम्बन्ध है राजस्थान भूमि सुधार एक्ट एक खास तौर का इतिहास रखता है। उस इतिहास का चुनाव के साथ भी बहुत कुछ सम्बन्ध है। इसके मुतल्लिक आप लोगों को कह चुका हूं। अगर हमारी यह रियासत डेमोक्रेटिक (प्रजातन्त्रीय) रियासत के रूप से चलती है तो बहतर यह होता कि यह भूमि सुधार एक्ट, अपने यहां जो यह विधान सभा हो रही है, उसके सामने लाया जाता। राजस्थान भूमि सुधार एक्ट का विरोध शुरू से हमारी संस्था ने जो किया है वह इस बात से किया है कि अगर यह हमारे देश के लिये, उसकी समृद्धिशालिता के लिए मदद देगा तो बड़ी खुशी से हम तैयार हैं। मगर वह वैधानिक रूप से करें; डेमोक्रेटिक (प्रजातन्त्रीय) रूप से करें। यदि आप स्वेच्छाचारिता, अन्याय और धांधली के रूप से करेंगे तो हम ऐतराज करेंगे। लेकिन इस सम्बन्ध में हमारी एक बात भी नहीं सुनी गई। सरकार को इतनी जल्दी क्या थी जबकि विधान सभा बुला ली गई थी, चुनाव हो चुके थे। हर तरह से प्रजा के प्रतिनिधियों के सामने यह सवाल लाया जाता, लेकिन रातो-रात जल्दी से जल्दी, जिस तरीके से इस एक्ट को पास किया गया उसके प्रति हमें बहुत ऐतराज है। इसके लिए हम राजप्रमख को धन्यवाद देने के लिए कभी तैयार नहीं। (भाषण जारी)

श्री मथुरादास माथुरः- यू वर आल्सो ए पार्टी टू इट --(आप भी इसमें सम्मिलित थे)

श्री जसवन्तसिंहः-मैं इसका भी जवाब आपको दे दूंगा।

अब मैं दूसरे सवाल का जिक्र करूंगा जिसको मेरे एक मित्र ने सदन के

समक्ष रखा है। वह है न्याय और व्यवस्था का। मैं मेरे मित्रों को विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक हमारे देश के न्याय और व्यवस्था का सवाल है हम आप में से किसी से पीछे नहीं हैं। यह तो हम लोगों का कर्तव्य है। (करतल ध्वनि) हमारी पिछली परम्पराएं यह बताती आ रही हैं कि न्याय और व्यवस्था का जितना ज्यादा प्रबन्ध किया जा सकता है, किया जाय। इस सम्बन्ध में जो प्रबन्ध किये गये हैं और उसकी जो मौजूदा हालत है वैसी पहिले कभी नहीं थी। ज्यादातर हम लोगों पर इस सम्बन्ध में आक्षेप लगाए जा रहे हैं। हमारे मित्र प्लेटफार्म और प्रेसों में और लगातार स्पीचेज में यही कहते आ रहे हैं कि इसका श्रेय साम्राज्यशाही को है—यह जो कुछ हो रहा है, सब हम लोग कर रहे हैं, अभी की स्पीचों में भले ही यह नहीं कहा गया है मगर प्लेट फार्म पर बराबर हम लोगों पर यह आक्षेप करते आ रहे हैं। यहांके एक स्थानीय अखबार "राष्ट्रदूत" के एडिटोरियल में जोकि कांग्रेस का एक ऑर्गन है, लिखा है कि सौराष्ट्र की घटनाओं से संयुक्त दल और जागीरदारी हल्कों में हल चल मच गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह खलबली हममें क्यों मच गई है? क्या हमने एक संगठन के रूप में जो संयुक्त दल बनाया इसीसे क्या ऐसे कार्यों में हमने मदद दी? मैं यह स्पष्टरूप से कहना चाहता हूं कि न्याय और व्यवस्था के विरुद्ध अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिये। सौराष्ट्र में ऐस कार्य करने वालों को चाहे जैसी सजा मिले, हमारी उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। मगर एक बड़े वर्ग को सिर्फ, क्योंकि वह जागीरदार है और खास तौर से राजपूत है, केवल इसिलिये बदनाम किया जाता है तो यह चीज कोई शोभाजनक नहीं कही जा सकती ह।

श्री मथुरादास:—इट इज मेकिंग प्रोपेगेन्डा अगेन्स्ट राजप्रमुख ' (यह श्रीमन् राज प्रमुख के विरुद्ध प्रचार किया जाना है)

श्री जसवन्तसिंह:—अब दूसरी बात जो मैं आप सज्जनों को कहूं वह यह है कि हमारे राजप्रमुख ने बड़े ही आराम से अपने अभिभाषण में कहा कि आम चुनाव बड़े ही संतोषजनक ढंग से हुए। इसके लिए मैं आपको थोड़े से उदाहरण देना चाहता हूं।

जब से आम चुनावों की घोषणा हुई, यह कहा गया कि इस साल के शुरु होते ही चुनाव हो जायेंगे तो हमारे मित्रों को यह दौड़ धूप लगी कि आम चुनावों में किसी तरह भी हो, जीतना है। उस वक्त में, सौभाग्य या दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार, एक सरकारी सरकार के रूप में चल रही थी। हमारे मित्र श्री हीरालालजी शास्त्री को किसी कारण से हटा दिया गया और श्री वेंक्टाचारी, चीफ मिनिस्टर के रूप में एडवाईजर्स की सहायता से कुछ अर्से तक यहां पर सरकार चलाते रहे क्योंकि यह घोषणा की गई कि १९५२ में जनरल इलेक्शन (आम चुनाव) होंगे। तो हमारे मित्रों को यह फिक्र रहा कि अगर वह सत्ता में नहीं हुए तो विजय तो होना दूर रहा शायद कांग्रेस के आधे भी व्यक्ति चुने न जा सकें। उनकी इस दौड़ धूप का फल यह हुआ कि जितनी

कोशिश सरकार बनाने की उनकी हुई उतनी ही कुछ न कुछ ढील और देरी उसमें होती रही। मेरे वे मित्र, मुझे दुख है कि, आज हम लोगों के बीच में यहां नहीं हैं और जो चुनाव में हार गए हैं। श्री जयनारायणजी व्यास पार्लियामेंट के मेम्बर थे और मैं भी था। मैं पूछा करता था कि "व्यासजी महाराज" मिनिस्टरी फॉर्म करने के लिए क्या हो रहा है? तो वे इस पर मुझे मजाक में कहा करते थे कि क्या बतलाऊं, मुझे तो एक तराजू देकर खड़ा करदिया है और उसमें मेंढक तोलने का काम सौंप दिया हैं। मैं तो काफी तेजी से काम करता हूं कि फौरन हमारी मिनिस्टरी बन जाए किन्तु कभी मेनन साहब बाहर, तो कभी राजप्रमुख साहब कहीं, तो कभी श्री गोपालास्वामी आयंगर साहब किसी दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं और कभी कांग्रेस मित्रों में समझौता नहीं होता था तो इस प्रकार मेंढक तोलते तोलते उन्हें दो महीने हो गए। आखिर में अप्रेल के महीने में मेंढक सब खत्म हो गए और उनको मिनिस्टरी बनाने का सुअवसर मिला। तभी से ये लोग इस, प्रयत्न में रहे कि किसी प्रकार इन चुनावों में विजय प्राप्त हो (करतल ध्वनि) सबसे पहिली जो कार्यवाही की गई वह यह की गई कि जो जो बड़े अफसर अपने अपने इलाकों में मुकर्रर थे और जिनसे यह उम्मीद की जा रही थी कि वे किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करेंगे, वे किसी को भी किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे उनके तबादले किये गये हमारे एडवाइजर्स ने आपत्ति पर आपत्ति उठाई, फिर भी कलक्टर्स के तबादले किए गए। (करतल ध्वनि) अभी हमारी माली हालत अच्छी नहीं, यह तो मेरे मित्र श्री मथुरादासजी ने बताया ही है। यहां की माली हालत अच्छी नहीं होते हुए भी ५–५, ६--६ कलेक्टर्स को अपनी जगह से हटा कर उन्हें सरप्लस कर बैठा दिया (करतल ध्वनि) उन्हें अपने घर पर बैठा कर जरूर तनख्वाह दे सकते हैं लेकिन उनसे कोई काम नहीं ले सकते। ६--६ महीने तक ५-५ कलेक्टर्स ने अपने घर पर बैठे बैठे तनख्वाहें लीं और उनके स्थान पर कांग्रेस को मदद देने वाले सब-डिवीजनल ओफीसर्स को कलेक्टर्स बना कर भेजा गया। अगर हाउस (सदन) के नेता यह समझते हैं कि यह चुनाव निष्पक्ष और संतोषजनक हुए और राजप्रमुख या विपक्ष की पार्टी यह चाहती है कि हम उनको इसके लिये धन्यवाद दें तो कम से कम हम लोग तो इसमें शामिल होने में असमर्थ हैं।

सिर्फ इतना ही नहीं, इतना तक ही होकर रह जाता है तो भी हमें अफसोस नहीं होता, मगर मैं एक दो उदाहरण और पेश कर देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी उसका जवाब देंगे।

एक गवर्नमेन्ट का सीनियर ऑफिसर, क्योंकि एसेम्बली में किसी व्यक्ति का नाम लेना एक अवैधानिकता है, इसलिये नाम नहीं लेना चाहता, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक गजटेड ऑफिसर, गवर्नमेन्ट सरक्युलर द्वारा अपने मातहतों को यह हुक्म देता है कि आप सब पब्लिक पर जोर डालो कि सब कांग्रेस को वोट दें। क्या हमारी सरकार यह समझती है कि यह चुनाव अच्छी तरह से, निष्पक्षता से लड़े गए और शानदार तरीके काम में लाए गए। उस अफसर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और बाद में जब उसको बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की गई और

जब वह नहीं छिपी तब कहीं जाकर कमिश्नर को इत्तिला देकर उसे ससपेन्ड किया। हमारे साथी बताएंगे कि उस अफसर का क्या हुआ, उसको क्या सजा दी गई या दी जाने वाली है?

अब दूसरा प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं, जिसका समाधान मैं सरकार से चाहता हूं वह है हमारे यहां तबादलों के बारे में। जो अफसर एक दूसरे की मदद के लिए भेजे जाते थे, उसमें हमारे यहां के एक इलेक्शन अफसर, जिन पर की इलेक्शन ओफिसर की हैसियत से एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व हो जाता था, बीकानेर के गंगानगर हिस्से में भेजे गये। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि वह ओफिसर वहां से डेढ महीने तक गायब क्यों रहे, डेढ़ महीने तक बगैर छुट्टी के कहां रहे? क्या उन्होंने कभी किसी से छुट्टी ली? क्या किसी ने यह पूछा कि वे क्या कर रहे हैं? मुझे दुख: के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको डेढ़-दो महीने तक अपने पार्टी के काम में लगाया गया (चीअर्स), अब तक उसका क्या हुआ, यह क्या हो रहा है मालूम नहीं? अगर यह संतोषजनक चुनाव हुए तो हम जानना चाहेंगे कि अगर उसकी शिकायत हुई तो उसके साथ क्या कार्यवाही हो रही है। यह तो हमारे संतोषजनक चुनावों के लिए है? इसके लिए हमसे यदि उम्मेद की जावे कि हम, राजप्रमुख का भाषण जो हुआ है उस पर धन्यवाद दें, तो हमें अफशोस है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं।

अब मैं सर्विसेज के, मुतल्लिक दो चार शब्द कहना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री मथुरादास ने अभी सर्विसेज के मुतल्लिक बहुत कुछ कहा है और फैले हुए करप्शन (भ्रष्टाचार) को रोकने के बारे में भी कहा है और यह भी कहा है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि इसको जितनी तेजी व मजबूती से हो सके दबाया जाए उतना अच्छा है। इसमें तो दो रायें हो नहीं सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूं कि वह उचित ही है। अब आप देखेंगे कि सर्विसेज का क्या हाल हो रहा है। सर्विसेज में मोरल यानि हिम्मत जो अभी है और जो पहिले थे उनका यदि आप मुकाबला करगे तो, आपको बहुत अन्तर मिलेगा। यदि आप सर्विसेज के लोगों से पूछें कि तुम्हें कितना सुख है और कितना नहीं तो आपको मालूम होगा कि उनको पहले अधिक सुख था। यदि राजस्थान की शासन प्रणाली में सबसे ऊंचा स्थान किसी का है तो मैं कहूंगा कि वह सेक्रेट्री का है। मैं पूछना चाहता हूं, कि क्या किसी सेक्रेट्री ने, जो यहां मौजूद है, क्या खुल्लम खुल्ला सही राय जो कि मिनिस्टर को मंजूर नहीं हो देने की हिम्मत की है और करेंगे तो अगर करेंगे तो उसका क्या हाल होगा, मैं इस सम्बन्ध में दो तीन उदाहरण दे सकता हूं। जहां कभी किसी दुर्भाग्यवश, सेक्रेट्री ने सही राय दी जो मिनिस्टर को पसन्द नहीं है। तुरन्त उसे पद से फेंक दिया गया। उसका क्या हाल हुआ, मैं कहना नहीं चाहता। यह किसी से छुपा नहीं है। इसकी बीसियों मिसालें दी जा सकती हैं। सेक्रेटरी की पोस्ट बहुत ऊंची पोस्ट है, और अगर आप उससे यह चाहते हैं कि वह राज्य का शासन भार चलावें तो आपको उनकी सच्ची राय लेनी चाहिये। क्या सर्विसेज में लोग काबलियत से ऊंचे उठते हैं? अगर अच्छी तरह से देखा जाय तो राजस्थान में ऐसी एग्जेम्पलें (उदाहरण) मिलेंगे कि छोटे से छोटा ओफिसर एक रात में

सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है (चीयरस) अब मैं ज्यादा क्या कहूं ? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सर्विसेज का जो हाल है वह बहुत खराब है । इसका तो भगवान ही मालिक है ।

हमारे राजप्रमुख के भाषण में एक ओर्डिनेन्स के मुतल्लिक कुछ कहा गया है, आसामियों को बेदखल करने के मुत्तल्लिक। हम बड़ी खुशी के साथ इस ओर्डिनेन्स का स्वागत करते हैं और जो आशय संरक्षण में रखा गया है उसके साथ हम सहमत हैं। मगर उसको अमल में लाने में जो जो बातें पैदा हुई हैं उसके लिए मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा । इन किसानों और आसामियों को बेदखल करने के रूप में क्या क्या ज्यादतियें हुई, आप कृपया सुनें । यह ओर्डिनेन्स ५-७ महिनों पहिले पास कर दिया गया था। ऐसे तो यह आर्डिनेन्स करीब करीब दो साल से चल रहा है। इसको मौजूदा मंत्री मंडल द्वारा मियाद बढ़ाने के लिये लाया गया था । लेकिन इस ओडिनेन्स में एक नई चीज दर्ज की गई है वह यह है कि जो सिपाही फौज से मुक्त कर दिये गये हैं उनके पास अपने गुजारे का दूसरा कोई चारा नहीं रहने के कारण उनको वापिस अपने घर पर जाने पर उनकी जमीन जो बोने के लिये काश्तकार को दी हुई थी, उन्हीं को वापिस दे दी जावेगी। यह प्रोविजन उस ओर्डिनेन्स में विशेष रूप से रखा गया। यह ठीक भी था क्योंकि दुर्भाग्य से हमारी फौज के रद्दोबदल में १० १५ हजार सिपाही, बेकार होकर शरणार्थी बन गये। हमारे इस ओर्डिनेन्स के अनुसार ये सिपाही अभी कोर्ट में जाकर कानून से अपनी जमीन फिर लेकर अपना निर्वाह कर लेंगे, यह इस ओर्डिनेन्स की मंशा थी। यह बिलकुल ठीक था। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों के प्रति सहानुभूति के रूप में इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं और सिपाही की जमीन जो सिपाही को कानूनन वापिस मिलनी चाहिये, नहीं लेने देते। मैं जानना चाहता हूं कि कितने सिपाहियों को सरकार ने अब तक जमीनें वापिस दिलाई। आज उनकी जमीनों पर हजारों ऐसे आदमी, जिनका कोई हक नहीं है, खेती कर कर रहे हैं और सिपाहियों की कोई सुनवाई नहीं होती। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। सीकर में तारपुरा गांव है। उसमें एक दुर्भाग्यशाली सिपाही जो अपनी नौकरी से मुक्ति पाकर आया और कलेक्टर, एस. डी. ओ., तहसीलदार आदि से विनती करके हुक्म हासिल किया कि उसकी जमीन उसको वापिस दे दी जाये । उसके साथ क्या दर्घटना हुई, उस पर मेरे माननीय मित्र डा० मंगलसिंहजी जो किसानों के लिये दिल पिघला रहे हैं, विचार करें। मगर यह घटना शायद उनके सामने उपस्थित करदूं तो उनको शायद मच्छर बैठने तक का कष्ट नहीं होगा। वह बेचारा सिपाही घर घर फिरता रहा । उसने हालांकि कलेक्टर, एस० डी० ओ० आदि से हुक्म हासिल कर लिया लेकिन जमीन कहां थी ? ऊंची २ जगह से सिफारिशें पहुचने लगी और दूसरी ओर क्या देखा जाता है कि हुक्म उसके पास है । उधर पुलिस और फौज के दस्ते भी वहां पहुंच गये हैं और उस खेत को चारों ओर से घेर लिया जाता है। पुलिस की सहायता से उस खेत पर कब्जा कर लिया गया । सौभाग्य से वह आदमी जिसका कि खेत था वहां मौजूद नहीं था, बाहर चला गया था इसलिये वह तो बच गया परन्तु एक दूसरा आदमी शहीद हो गया। हमारे स्वतंत्र भारत में सैकडों शहीद हुए हैं ।

यदि आसामियों को बेदखल करने के लिये ऐसे ऐसे तरीके काम में लाये जाय और फिर भी हम श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद दें, जब तक यहां पर खून और अत्याचार के नमूने देखे जा रहे है, तब तक मैं आशा करता हूं कि इस दल का एक भी सदस्य धन्यवाद देने को तैयार नहीं होगा।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो राजप्रमुख को ओर कहनी चाहिये थी लेकिन उन्हें सरकार ने भाषण में दर्ज करने की तकलीफ नहीं की। उन्हें क्यों तकलीफ करनी चाहिये थी? उनको उनके बारे में दुख: कहां तक होता? उनके हाथ में सरकार आ गई। जो आराम उन्हें मिलने चाहिये थे वे मिल गये। दूसरे गरीब हैं, आपत्ति में हैं, ये सब बातें वे भूल गये। उन्हें इन बातों से क्या मतलब? सबसे पहिले मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आबू का सवाल भी आप भूल गये? जिस अन्याय के साथ हमारे राजस्थान के मुंह पर चपत लगाया गया क्या हमें उसका बदला नहीं लेना है? क्या हमें उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिये। जहां तक हमारे पक्ष का सम्बन्ध है, हमारी हर तरह से कोशिश रहेगी, चाहे हमारी सरकार स्वयं कदम उठाये या नहीं, लेकिन हमारा दल आबू को वापिस लेने का भरसक प्रयत्न करेगा। यदि आज सरदार पटेल मौजूद होते तो मैं समझ सकता था कि उनको डर लगता, मगर अब तो डरने का कोई सवाल नहीं रहा। मैं यह बताना चाहता हूं कि थोड़े समय पहिले पार्लियामेन्ट में कुछ कांग्रेस के नेताओं और मैंने विचार किया कि आबू के लिये कदम उठाना चाहिये। जब इस बारे में पार्लियामेन्ट के सामने सवाल आया था उस समय सरदार पटेल मौजूद थे। लेकिन "हू विल बैल दी कट" (बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे)? मैंने उनसे कहा कि यदि इसमें शामिल न हों तो कम से कम जब इस पर राय लेने का मौका आवे तब वे मेरा साथ दें। उन्होंने कहा कि हम सब मदद करेंगे और साथ में रहेंगे। जब मैंने पार्लियामेन्ट में इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया तो मेरे बहुत से साथियों ने कह दिया कि कांग्रेस वालों से झगड़ा नहीं करना चाहिये। विपक्षी दल के जो सज्जन आज बड़ी बड़ी खबरें इस बारे में अखबारों में छपवा रहे हैं वे पार्लियामेन्ट से, वोट ले के समय मैंने देखा कि, वहां से निकल पड़े, और जसवन्तसिंह अकेला रह गया (शेम-शेम) मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि वे इस आश्वासन पर टिके हुए हैं कि हमारी सरकार मदद करेगी तो वे भूल करते हैं और आज उनके साथ बम्बई सरकार जो अत्याचार कर रही हैं उनका बदला लेने के लिये राजस्थान सरकार तैयार न होगी तो हमारी पार्टी तो इसके लिये हर तरह से प्रयत्न करेगी।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः-

आइ एम डुइंग माइ बेस्ट "मैं अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहा हूं।"

श्री जसवन्तसिंहः-

मुझे दुख है कि परम्परा से, जहां तक इतिहास का मेरा ज्ञान है आबू

राजस्थान में रहा है और बम्बई सरकार ने जबरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया है। मैं समझता हूं कि इस बात पर हमारी सरकार महत्व नहीं दे रही है। जैसा कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण से सिद्ध होता है, वह इसे महत्व नहीं दे रही है क्योंकि आबू के बारे में कोई संकेत इस में नहीं है। इसलिये हम यह कह सकते हैं कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में इस बात की कमी रह गई है।

दूसरा सवाल, जिसके सम्बन्ध में राजप्रमुख के भाषण में कमी रह गई है, वह है रीसेटलमेंट ऑफ एक्स सोलजर्स (सेवा मुक्त सिपाहियों का पुनर्वास) क्या उनका यह कर्तव्य नहीं था कि श्रीमन राजप्रमुख के अभिभाषण में यह बात लाते कि हम कटिबद्ध होकर, दुर्भाग्य से जिन्हें फौज से निकाला गया है, रीसेटलमेंट करने के लिये कुछ उपाय करेंगे। उनकी हालत का वर्णन मैं कर चुका हूं। जब तक वे नौकरी में थे तब तक उनकी जमीन किसानों को आरजी काश्त के लिये दे दी गई। जब उन्हें फौज से हटाया गया तो यह कहा गया कि उन्हें जमीन वापिस मिलेगी। ऐसी एक घटना का वर्णन मैंने ऊपर किया है। हमारे हजारों भाई शरणार्थियों के रूप में फिर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इस बात को महत्व नहीं देती। वे इस बात पर महत्व क्यों देते ? उनको क्या पड़ा है; जब कि वे उनकी पार्टी के नहीं हैं। हम विपक्ष में हैं इसलिये वे हमारे पास दौड़कर आते हैं। सैकड़ों आदमी दो वर्ष पूर्व निकाल दिये गये। वे कहते हैं कि हमें कोई पेशा नहीं बताया जाता, हम कम्युनिस्ट हो जावेंगे या जुर्म करेंगे। इसके सिवाय दूसरा उनके लिये कोई चारा नहीं है।

अब एक दूसरी बात और अर्ज करुंगा जिसकी कमी श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में रह गई। यदि जिम्मेदार सरकार होती तो जरूर उसका वर्णन अभिभाषण में आया होता। अभी हाल ही में राजस्थान में जो भिन्न भिन्न रेल्वेज थी उनमें से दो बड़ी थीं और कुछ छोटी थीं। उनके बारे में हमारे मुख्य मंत्री साहब ने कुछ शुभ कामनायें भेजी है, ऐसा सुनने में आया है। यह कहां तक सही है मैं कह नहीं सकता। रीग्रूपिंग ऑफ रेल्वे (रेल्वे का पुनर्वर्गीकरण) का कुछ अरसे पहिले जिक्र आया था। प्रान्त की रेलों का रीग्रूपिंग (पुनर्वर्गीकरण) जो हो रहा है उनसे स्थानीय जनता पर जो असर पड़ेगा वह खराब होगा या अच्छा होगा? रीग्रूपिंग (पुनर्वर्गीकरण) से पहिले रेल्वे बोर्ड ने सब प्रान्तों से पूछा कि उन्हें उसके बारे में कुछ कहना है? हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से रेल्वे बोर्ड को लिखा गया कि हमें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है ? उनके लिये कुछ ठीक होता अगर वे हमारे गरीब राजस्थानियों के दुख और तकलीफें को जानते। अब जब कि रेल्वेज के हैडक्वार्टर बीकानेर और जोधपुर से हटाये जायेंगे तो हजारों की तादाद में लोगों को घर छोड़ कर जाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि अब तो सारा हिन्दुस्थान एक है बाहर का सवाल ही नहीं रहता। मैं आपसे अर्ज करूं कि यह सही है। फिर भी उत्तर-प्रदेश में तीन रेल्वेज के डिवीजन हैड क्वार्टर्स इलाहबाद, लखनऊ, गोरखपुर में हैं। उनमें से एक इलाहबाद का हैड क्वार्टर वहां से कलकत्ता हटाये जाने के लिये जब वहां के मुख्य मंत्री को, जो अपने कर्तव्य के बारे में समझते हैं, लिखा तो

उन्होंने यह सोचा कि इलाहबाद से कलकत्ता हैडक्वार्टर चला जायगा तो हजारों की तादाद में मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों के घरवाले दूर हो जायेंगे और उनके थोड़े वेतन से काम चलाना कठिन हो जायगा। अतः उन्होंने रेल्वे बोर्ड से लिखा पढी की और खुद भी दिल्ली गये और रेल्वे बोर्ड वालों से लडकर उन्होंने रेल्वेज के हैडक्वार्टर जहां के तहां रखा लिये। हमारे दुर्भाग्य से बीकानेर रेल्वे का हैडक्वार्टर वहां से उठाने की सूचना मिली तो वहां खलबली मच गई। सैकड़ों की तादाद में लोग मेरे पास आये और कहा कि तुम राजस्थान सरकार के मंत्री हो इसलिये क्या हमारे लिये कुछ भी नहीं कर सकते? आखिर बीकानेर के, लिये हुक्म आया कि वहां से वर्कशोप (रेल्वे का कारखाना) हटाया जायगा। उस समय हजारों की तादाद में लोग नादान बीकानेर महाराज के महल में इकट्ठे हो गये और कहने लगे कि हमें किसके भरोसे छोड़ दिया? अब हमारा क्या हाल होगा, हमारे बच्चे नादान है। महाराजा साहब ने कहा कि खेद है क्योंकि वे क्या कर सकते थे? फिर भी उन्होंने रेल्वे बोर्ड के सदस्यों को बीकानेर आमन्त्रित किया और केन्द्रीय सरकार से लिखा पढी की। हमारे बीकानेर के सौभाग्य से हमारी सुनवाई हुई। हमारा डिवीजन वैसा ही नहीं रहा बल्कि इसमें दूसरी रेल्वे और सम्मिलित करदी गई। क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं था कि वह एक डिवीजन के साथ होने वाले अन्याय को रोकने का प्रयत्न करती? लेकिन यह हम लोगों का दुर्भाग्य है-क्या करें?

वे बातें ऐसी थीं कि राजप्रमुख के भाषण में उनका उल्लेख होना चाहिये था, हमें बड़ी खुशी है कि जयपुर तरक्की पर तरक्की कर रहा है। परमात्मा इसको और तरक्की दे। राजस्थान में केवल जयपुर ही एक शहर नहीं है। यहां और भी शहर हैं? उनमें मनुष्य रहते हैं, पशु रहते हैं, जीव जन्तु रहते हैं, सुखी दुखी सब लोग रहते हैं, इन्सान भी रहते हैं। जयपुर की तरफ जितनी तवज्जुह दी जाय, दी जानी चाहिये। लेकिन इसके साथ साथ जोधपुर ने क्या नुकसान किया, बीकानेर ने राजस्थान में मिलकर क्या नुकसान किया, उदयपर ने राजस्थान में मिल कर क्या गुनाह किया? उनकी ओर तवज्जुह देना सरकार का फर्ज बन जाता है। जयपुर के सिवाय भी अन्य शहर हैं। हमारे बीकानेर में एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट बड़े उत्साह के साथ भेजा गया था, लेकिन मेरे मित्र माननीय मथुरादास माथुर, जब यहां शिक्षा मंत्री थे कहने लगे कि जयपुर में डाइरेक्टर से बहुत काम रहता है इसलिये हम इनको अपने पास रखगे। फलस्वरूप वहां से कुर्सियां चलने लगीं, मेजे चलने लगीं।

श्री मथुरादास माथुर

नेम शुड बी एवाइडेड (नाम नहीं लिये जाने चाहिये)

श्री जसवन्तसिंह

(अपना भाषण जारी रखते हुए) जो पुरानी राजधानियें थीं उनके मुतल्लिक

हमारी सरकार ने थोड़े अरसे पहिले एक कमेटी बनायी थी, अब उसका क्या हुआ, क्या न हुआ, यह ईश्वर जाने। हमें विश्वास नहीं इस सम्बन्ध में कुछ किया जायगा या नहीं। जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं कि एक मारवाड़ी कहावत है "भूखा धापा पतीजे", हमें आश्वासनों पर कोई विश्वास नहीं रहा।

मैं एक छोटी सी बात और कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। बड़े शहरों और राजधानियों की बात दूर रही, राजस्थान में करौली नाम की एक रियासत थी। इस रियासत के राजस्थान में सम्मिलित होने पर हमारी सरकार ने यह नहीं समझा कि यह कितनी पुरानी रियासत है। छोटी भले ही हो, वहां की जनता के भावों का खयाल न करके जयपुर की छोटी छोटी तहसीलों को डिस्ट्रिक्ट बनादिया गया लेकिन हमारी जो प्राचीन राजधानी थी वह खत्म हो रही है। मेरी इन सब बातों को देखते हुए क्या हमारे पुराने शहर और राजधानियों को तरक्की देने के लिये सरकार कुछ आश्वासन देने की कृपा करेगी। वे हमारे पर कृपा नहीं करना चाहते। हम क्या वश करें? इतना कहकर मैं यह दुहराना चाहता हूं कि किस वजह से हम राजप्रमुख के अभिभाषण के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए शरीक हों ? हमें खेद है कि कम से कम संयुक्त दल ऐसा काम करने के लिये सम्मिलित नहीं होगा।

श्री गोपीलाल यादवः-

मैं इस प्रस्ताव में जो कि गवर्नमेन्ट की तरफ से राजप्रमुख को धन्यवाद देने के लिए रखा गया है, एक संशोधन पेश करूंगा।

मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव इस प्रकार हो,

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्यगण, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है अत्यन्त कृतज्ञ हैं। और सदन सविनय निवेदन करता हैं कि उनके अभिभाषण में कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय छोड़ दिये गये हैं जिनका इस शासन की भलाई और जनतामें भविष्य में उत्साह और आशा पैदा करने के लिये होना आवश्यक था"

माननीय अध्यक्षः-

Amendment cannot be moved now at this stage. If any amendment is to be moved it should be given under due notice. It may be submitted to-day and on that amendment discussion will take place tomorrow.

(संशोधन इस स्थिति पर प्रस्तावित नहीं किये जा सकते। यदि कोई संशोधन प्रस्तावित किया जाना हो तो इसकी आवश्यक सूचना दी जानी चाहिये। यह आज प्रस्तुत किया जा सकता है और संशोधन पर कल विचार विमर्श होगा।)

श्री गोपीलाल यादवः-

I shall submit it tomorrow (मैं इसे कल प्रस्तुत करुंगा।)

माननीय अध्यक्षः-

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि राजप्रमुख का भाषण कल हो चुका था और अब तक सदन के सामने कोई संशोधन या किसी भी रूप में उसके लिये कोई ऐसी बात नहीं आई है। जो महोदय इस बारे में संशोधन पेश करना चाहें उनको कल शाम-तक दे देना चाहिये था, वे आज मूव कर दिये जाते। आज देते हैं तो वे कल मूव कर दिये जायेंगे। इसलिये इसके सम्बन्ध में जो कोई सज्जन बोलना चाहें बोलें।

श्री गोपीलाल यादवः-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन करना है और रूलिंग के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा निवेदन है कि मुझे राजप्रमुख के भाषण में संशोधन पेश करना है। भाषण कल दे दिया गया था। मैं संशोधन उस प्रस्ताव में पेश कर रहा हूं जो प्रस्ताव आज सभा के समक्ष माननीय डा० मंगलसिंह ने पेश किया। जब प्रस्ताव आज पेश हुआ है तो मेरा संशोधन कल कैसे आ सकता था।

माननीय अध्यक्षः-

यह प्रस्ताव कल आ चुका था तो सदस्यों को चाहिये कि वे देख लेते और इस पर जो भी संशोधन पेश करना होता कर देते। मैं समझता हूं कि सदस्य को इस विधान की बात का शायद पता न हो। मैं चाहता हूं कि संशोधन पेश करना है, वे पेश कर दे उचित समय के बाद वह सामने आ सकता है।

श्री कानसिंहः-

आपकी इजाजत से मैं यह पूछना चाहता हूं कि संशोधन कितने घंटों, कितने दिनों, कितने महिनों पहले पेश किये जाने चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि जो संशोधन पेश किये गये है और किये जाने वाले हैं कम से कम उनको ही लिया जाय। इस संबन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

माननीय अध्यक्षः-

जो संशोधन देने है वे दे दिये जायं। अगर हाउस (सदन) के नेता बहस के लिये तैयार हों तो मैं इजाजत दे सकता हूं। साधारणत: संशोधन पेश करने के लिये जब सदन के सामने आते है तो एक दिवस के नोटिस का विधान ह और जो भी सदस्य इस विषय में संशोधन या विरोध प्रस्तुत करना चाहते हैं वे लिखित रूप में दे दें। उसके ऊपर वाद-विवाद एक दिन के नोटिस के बाद कर लिया जायगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--

माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख ने हमें राजस्थान की जनता की ओर से बालिग मताधिकार के आधार पर चुने हुए प्रतिनिधियों की हैसियत से जो हमारा स्वागत किया ह उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रदर्शित करूं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हम लोगों के लिए अपने प्रान्त में यह एक ऐतिहासिक अवसर है। जिन शब्दों में श्रीमन् राजप्रमुख ने हमारे इस सदन का स्वागत किया है और जो आदेश उन्होंने अपने अभिभाषण में हमें देने की कृपा की है उनके लिए तो मुझे आभार प्रदिशित करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जो प्रस्ताव दूसरे पक्ष की ओर से हमारे सामने इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका अर्थ केवल यह है कि उनके सौजन्य के उपलक्ष में हम उनके प्रति सौजन्य प्रकट करें और उन्हें धन्यवाद भी दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह सौजन्य का तरीका है। लेकिन अगर उस प्रस्ताव का अर्थ यह हो कि राजप्रमुख के अभिभाषण में जो बातें अब तक हमारे प्रान्त की सरकार द्वारा की गई है, और जिनके लिए यह कहा गया है कि वे बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण थी तो मुझे, अध्यक्ष महोदय, क्षमा करियेगा यदि मैं अपना ऐतराज पेश करूं।

सबसे पहिले मुझे एक जरूरी बात पृष्ठ भूमि को साफ करने के लिए अर्ज करना जरूरी मालूम होता है। और वह बात यह है कि भविष्य में जो बातें राजप्रमुख के अभिभाषण में की जाने वाली बतलाई गई हैं या जिनके किये जाने के लिए हमें आश्वासन दिया गया है, उन बातों से हमें कोई लम्बा विरोध नहीं है, बल्कि कई बातों में हम उनके साथ में हमेशा रहेंगे। लेकिन जैसा कि मेरे माननीय मित्र जो कि मेरे दाहिने ओर बठे हैं आपके सामने निवेदन किया है कि हमें विश्वास नहीं है कि वे बातें होंगी। हमारा तजुर्बा हमारे शासन के सम्बन्ध में इतना कटु रहा है, इतना कठोर रहा है कि हम सहसा यह अनुमान नहीं होता, यह विश्वास नहीं होता कि वे बातें होकर रहेंगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक आने वाले जमाने का सवाल है, जहां तक किये जाने वाले कार्यों का प्रश्न ह उन पर तो आलोचना या उनके लिए शुक्रिया तभी जाहिर किया जा सकता है जब कि वह बातें कार्यान्वित हों। लेकिन अब तक हमारे प्रान्त में गुजरे हुए ३ साल में जो शासन व्यवस्था रही है उनके सम्बन्ध में हमें अवश्य अधिकार है कि हम आपके सामने वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य प्रदर्शित करें। और मेरा यह मत है कि जो बात हम कह वह संतुलित हो, समझदारी की हो, सूझ बूझ की हो, अपने अनुभवों पर आधारित हो। हम यहां पर इसलिये इकट्ठे नहीं हुए हैं, कि एक पक्ष जो हमारे सामने बैठा है, उनका केवल विरोध करें, और न हमारी यह भावना ही है और मैं आपको और हाउस के नेता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में भी यह कभी नहीं होगा। लेकिन आप हमें क्षमा करेंगे अगर हम लोग वे बातें बतावें जो कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में कही गई हैं। पर वस्तुस्थिति वैसी नहीं है ; क्योंकि बातें करना तो बहुत आसान है। कहावत है कि " शैतान भी शास्त्र की दुहाई देता है " और ऐसा

देखने में कभी २ आता है, तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि मैं इस अभिभाषण के प्रति अपने कुछ विचार इस सदन के सामने प्रकट करने की कोशिश करूंगा।

राजस्थान का शासन पिछले ३ वर्षों से करीब २ एक ही दल के हाथ में रहा है यद्यपि यह भी सही है कि जो प्रजातंत्रात्मक हुकूमत इस समय इस सदन के प्रति जिम्मेदारी के साथ कायम हुई है वह पहिली ही हुकूमत कायम हुई है। लेकिन इस सत्य से हम अलग नहीं हो सकते हैं कि पहिली सरकार के जिम्मेदार लोग भी उसी दल के थे और आज भी उसी दल के हैं। जो प्रोग्राम भविष्य के लिए, आज हमें बताया जाता है, वह प्रोग्राम आज के पहिले भी उन्हीं साथियों के पास मौजूद था और उसी के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये थी।

सबसे पहिले श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में जो हाल ही में देश-व्यापी चुनाव हुए और उस सम्बन्ध में हमारे प्रान्त में भी चुनाव हुए उनका जिक्र किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन् राजप्रमुख ने सबसे पहिले हमारे प्रान्त की जनता के प्रति अपना शुक्रिया और विश्वास प्रकट किया यह ठीक बात है। जनता ने, मैं समझता हूं बुद्धिमानी से काम किया है और ऐसा उसे करना भी चाहिये था और यह मानना पड़ता है कि दुर्भाग्य से हमारे प्रान्त में परदा प्रथा जारी है और जब तक वह नहीं हटती तब तक सही माने में प्रजातंत्रात्मक राज्य कायम होना एक आसान चीज नहीं है। दूसरी बात श्रीमन राजप्रमुख ने इस सम्बन्ध में जो कही है वह है राज्य सेवाओं के प्रति और इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे राज्य सेवाओं से कोई द्वेष नहीं है। माफ कीजिएगा मैं हिन्दी का पंडित अपने आपको नहीं समझता और न समझता हूं कि मैं कोई व्याख्यान देने वाला हो हूं। मैं मेरी सीधी सादी भाषा में, जहां तक हो सकेगा बिना अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए, अपने विचार हिन्दी में प्रकट करने की कोशिश करूंगा। मेरी उनके प्रति कोई दुर्भावनाएं नहीं है, और मैं यह भी कहने को तैयार हूं कि जहां तक उनसे बन सका उन्होंने निष्पक्षता से चुनाव में सहयोग देने की कोशिश की। लेकिन इतने से ही तो कहानी खत्म नहीं हो जाती। मुश्किल तो यह है कि एक तत्व जब तक इन चुनावों को निष्पक्षता से होने देने के लिये तैयार नहीं हो सकता या नहीं होना चाहता तब तक नामुमकिन था कि यह चुनाव इतनी इमानदारी तथा निष्पक्षता से हुए जितने कि हम चाहते थे। इस सम्बन्ध में कुछ बातें मेरे मित्र जो मेरे ही दल के हैं निवेदन कर चुके हैं। उनको बहुत सी सूचनाएं है, राजकाज में उनका बहुत कुछ हाथ भी था, और इसलिये जो बात ये कहते हैं मैं मानता हूं कि पते की ही होंगी। लेकिन जहां तक राजकाज से दूर रहने वाले व्यक्तियों की हैसियत से जिन लोगों ने चुनाव लड़े उनका मुझे तजुर्बा है। उनके आधार पर मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूं कि हमें दुख के साथ इस सदन को यह कहना पड़ता है कि चुनावों में हमारे मंत्री परिषद् के सदस्यों की ओर से जो उच्च स्तर होना चाहिये था वह नहीं रहा (करतल ध्वनि) काश, वे अपने फर्ज को समझते, काश वे यह भी सोचते कि चुनावके दल-दल में राज्य की सेवाओं को अन्तरगत करना बहुत ही जहरीला काम है। (करतल ध्वनी) यह मेरा निश्चित मत है कि हम लोग जो इस सदन के मेम्बर हैं,

या हमारी स्थिति में जो लोग आगे आने वाले हैं उनका यह एक ध्रुव कर्तव्य है, परम पवित्र कर्त्तव्य है कि वे राजकीय सेवाओं को चुनावों के मामले से बिलकुल अलग रखें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो यह नतीजा स्वाभाविक है कि वे आज एक सरकार की पूजा करने में मशगूल हैं तो कल आगे आने वाले चुनावों में वे उस वक्त जो सरकार होगी उसकी पूजा करने में मशगूल होंगे। और इस तरह से सिलसिला चलता जायगा जिससे निष्पक्ष चुनावों में जरूर अन्तर पड़ेगा। यह म अपने तुजुब से आपको कहना चाहता हूं कि जो यह नतीजा मैंने आपके सामने पेश किया हैं उसके पीछे अनुभव है, वाकफियत है और वह ठोस रूप से है। मैं यह आपको इमानदारी और नेकनियती से कह रहा हूं। आप स्वयं अपनी अन्तरात्मा से यह पूछें कि जो यह नतीजा पेश कर रहा हूं, यह सही है कि नहीं, मुझे यकीन है कि आप इसे अवश्य दुरुस्त पायेंगे।

कई सरकारी अफसरों के तबादले चुनावों के मौकों पर, इधर स उधर किए गए, समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया। जब कि हमारे राज्य के कोष में इतना पसा नहीं है कि हमारी चन्दरोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें तो फिर नाहक चुनावों के अवसर पर इस किस्म के तबादले स्वयं शंका पैदा करने का कार्य करना है। आप लोग जो शासन अपने हाथ में रख चुके हैं और ऐसे जिम्मेदारी के पदों पर आरुढ हैं, आपको कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिये जिसे दुनिया की नजरों और दिमागों म आपके प्रति शंका पदा हो। यह तभी हो सकता है जब मैं आप के समक्ष यह कहूं कि आप अपने स्वार्थों को आपके दिमाग में न रखें। मगर अफसोस ह कि यह बात न हो पाई और लोगों को तरह तरह के लालच दिये जाने लगे। चुनाव के वक्त में ऐसे तरीके इस्तेमाल किये गये जिनका नतीजा यह हुआ कि जिस दर्जे की ईमानदारी और निष्पक्षता सरकार की ओर से होनी चाहिये थी वह न हो पाई। सरकारी मुलाजिमों के लिये वे मिसालें पैदा की गई जिसके लिये हमें परेशानी उठानी पड़ेगी कि वे ये बातें भूल जायं। मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो बातें श्री राजप्रमुख द्वारा हमें कही गई है उसमें यह बातें और बढ़ा दी जानी चाहिये थीं और मैं आशा करता हूं कि अगर इस नीति पर भविष्य में काम किया गया तो अवश्य हम यह कहने के हकदार होंगे कि हमारे मुल्क में चुनाव आजादी और ईमानदारी से हुवे।

एक दूसरी बात जो मुझे आपके सामने निवेदन करनी है वह एकीकरण के सम्बन्ध में है। हमारा प्रान्त बहुत सारी पुरानी रियासतों को इकट्ठा करके बना है; यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है। हम समझते थे कि हम छोटे २ वर्गों और क्षेत्रों में सीमित तथा रहने वाले लोग अब एक महान प्रान्त के निवासी बनेंगे और जो हमारी छोटी २ पुरानी राजधानियें दिखाई दे रही थीः वे इतिहास में अधिक शान से रहेंगी। हम चाहते थे कि हमारे यहां शासन ईमानदारी से हो, शासक इमानदार हो, राज्य सेवाएं दलबन्दी से परे और लोक सेवा की भावनासे काम करती हो और हमारा प्रान्त समृद्धिशाली बने। छोटी २ बातों से अलग रह कर हम ऊपर उठें, दलबन्दी के नीचे दबे न रहें और सचमुच जो बातें राजप्रमुख ने अपने भाषण के अंतिम हिस्से में कहीं कि जनता का राज्य जनता के प्रतिनिधियों

द्वारा जनता के लिये हो यही भावना हमारे अन्दर हो और इसी भावना को लेकर हमने इस नये प्रान्त को कायम किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखने की बात यह है कि जो आशायें हमारे दिलों में प्रोत्साहित हुई थीं, जो उमंगें उठ रही थीं और जिनके लिये हमारा दिल मचल रहा था वे बातें पूरी नहीं हुई। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, कि मेरा खुद का अनुभव तो यह है कि हमारे स्वप्न सच्चे नहीं हुए।

राज्य सेवाओं की बात लीजिये। इस अभिभाषण में कहा गया है कि उनका एकीकरण बहुत सावधानी से किया जा चुका है. लेकिन राज्य कामों से दूर रहते हुए मेरे जैसे आदमी को इतनी पक्की सूचनाएं तो नहीं होती, मगर जहां तक सूचनाएं मिली हैं मैं आपको यह कहने के लिए तैयार हुआ हूं कि इस सम्बन्ध में जो राज्य सेवाओं के एकीकरण के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं बिलकुल असंतोषजनक हैं। पहले आपने एक कमेटी मुकर्रर की, जहां तक मुझे मालूम हुआ है, उस कमेटी का नाम राधाकृष्णन् कमेटी था। उसके बाद वेंकटाचार कमेटी ने उसमें संशोधन करने की कोशिश की। तीसरी कमेटी अब और बनी है। तीन वर्षों में तीन कमेटियां बनीं और राज्य सेवाओं के कर्मचारियों के भाग्यों का निर्णय अभी तक न हो पाया। हमारे लिए यह कितने दुख की बात है। एक तरफ हम चाहते हैं कि इमानदारी और निष्पक्षता से कर्मचारी काम करे। हमने उनके एकीकरण के सम्बन्ध में जो कदम उठाये वे इतने असंतोषजनक हैं कि इसके बारे में क्या कहा जाय। क्या यह हमारे प्रान्त के लिये शर्म की बात नहीं है? म आशा करता हूं कि हमारे सरकारी कर्मचारी जो हमारे प्रान्त के प्राण हैं, रोजमर्रा के काम करने वाले जब तक सबल और संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक आप मंत्रीगण उनसे कोई काम ठीक तरह से नहीं करा सकते हैं।

इसी तरह से आप न्याय विभाग को लीजिये जिससे मेरा विशेष सम्बन्ध है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं मानता हूं कि जनता के हित के लिए, पुरानी रियासतों के रेवेन्यू बोर्ड आदि तोड़े, पुराने हाई कोर्ट तोड़े क्योंकि जब एक प्रान्त राजस्थान बना तो अलग २ जगहों में हाई कोर्ट नहीं रह सकते। लेकिन आप ने क्या किया? अभी हमारे यहां राजस्थान में दो जगह हाई कोर्ट स्थित हैं। मुकद्दमों के ढेर के ढेर लग रहे हैं। फरीकों की तबाही हो रही है। मैं बढा चढा कर कोई बात आपके सामने नहीं कहना चाहता हूं। मेरा तो यह कहना है कि आप खुद जाकर वहां की हालत देखें। अगर मेरे कहने में कोई सच्चाई हो तो आप मानें, और न हो तो आप मुझे वापिस कहें, मैं इसी हाउस में आपसे क्षमायाचना करूंगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि न्याय विभाग में राजनीति से काम किया जारहा है। मेरे पास इसके लिए कई सबूत हैं। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं कि अगर इसी नीति से हाई कोर्ट की नियुक्तियों में भी काम लिया तो राजस्थान के भविष्य के लिए कोई ठीक बात नहीं होगी। हाई कोर्ट की बात छोड़िये। आप नीचे की अदालतों को देखिए। आपको पता चलेगा कि कई जगह अदालतें मुकर्रर की गई, जज हैं; लेकिन एक एक अदालत में ५०-५०,६०-६० मुकद्दमें रोजाना होते हैं। इतने कोई अकेला आदमी कैसे कर सकता है? ६०-७० केसों को हाथ में लेना भी मुश्किल

हैं । क्यों नहीं अधिक जज नियुक्त करते ? हमारी सरकार और हमारे प्रान्त के बन्धुओं से जो शासन का भार अपने हाथ में लिए हुए हैं, क्या हम मांग नहीं कर सकते कि आप महरबानी करके छोटे मोटे काम छोड़िये, पार्टी के दल दल से ऊपर उठिए । दुनिया आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है । मगर मुझे अफशोस है कि यह क्या हो रहा ह । इसकी जिम्मेदारी आप पर है। हम लोग केवल आपका ध्यान इन बातों की ओर खींच सकते हैं लेकिन कर तो कुछ नहीं सकते और इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि न्याय विभाग में एकीकरण हुआ उससे जनता को बहुत ज्यादा असुविधाएं हुई, इसका क्या कारण है ? इसके कई कारण है। हो सकता हैं कि कुछ कमियें भूल से रही हो और यह बात हम मानने के लिए तैयार हो सकते हैं यदि वे सच्चाई के साथ हों । परन्तु यदि जिन आदमियों को आप चाहते हों या जो आदमी आपके कृपापात्र हों वे मिल नहीं रहे हैं इसलिए न्याय विभाग में भी ऐसा हुवा है तो यह अनुचित है । एक बात इस सम्बन्ध में और भी कही गई है कि अलग २ पुराने राज्यों में जो कानून थे उनका एकीकरण हो चुका है और समानता से एक नीति लागू की गई। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह बात ठीक नहीं है। मैं अपने डिविजन के बारे में आपसे कह सकता हूं, जहां मैं वर्षों से रहता आया हू । वहां अब तक बहुत सारे कानून लागू हैं जिनको अब लागू रखने की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार मेरे तजुर्बे से उदयपुर का ऐसा मामला गुजरा ह जिससे यह मालूम हुआ कि वहा अब भी होर्डिंग और प्राफीटियरिंग कानून जारी है वह ज्यों का त्यों लागू है ! जब हमारा एकीकरण हुआ है तो अब यह कानुन केवल उदयपुर में नहीं रह सकता । उसी प्रकार पट्टा कानून जोधपुर में लागू है । जब कोई अपना मकान किसी दूसरे आदमी को बेचता है तो उसको पट्टा फीस देनी पड़ती है । मैं समझता हूं कि अब बदले हुए जमाने में इसकी कोई जरूरत नहीं है । जब हमारे प्रान्त के दूसरे हिस्सों में यह नहीं तो हमारे यहां यह अभी भी क्यों है ? शायद सरकार समझती है कि जहां पैसा आता है उसको क्यों गमाया जाय । लेकिन यह तो कोई न्याय की बात नहीं है । हमें समानता चाहिये । विधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि राजस्थान के निवासियों के बीच अलग २ हिस्सों में रहने वालों में, यह असमानता क्यों और कैसी ।

इस समय मुझे एक बात और याद आगई । मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे शिकायत है कि इस अभिभाषण में कोई संतोषजनक आंकड़े नहीं दिये गये । और यदि मैं यह कहूं कि यह कमी सारे ही अभिभाषण में है तो अनुपयुक्त नहीं । राजप्रमुख के अभिभाषण में बहुत सी बातें कही गई है कि सरकार इन मामलों में प्रयत्नशील रही है; लेकिन आज कल के जमाने में सिर्फ यह बात कह देने से कि सरकार प्रयत्नशील रही है, दिल को तसल्ली नहीं होती । यह भी दुख की बात है कि अब तक तीन साल के लंबे अर्से में भी राजस्थान सरकार की कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट हमको देखने को नहीं मिलती । यदि कोई सालाना रिपोर्ट अधिकृत रूप से प्रकाशित हुई होती तो देखने को मिली होती । इससे बहुत से संदेह हमारे दूर हो सकते थे और उसके आधार पर हमें भी सन्तोष होता । वरना हो सकता है किमैं कुछ बात कहूं और आप यह समझें कि मैं

जान बूझ कर गलत बातें कह रहा हूं। लेकिन वस्तुस्थिति न जान सकने की दशा में मैं कोई बात आपसे ऐसी कहूं जो गलत हो सकती है, मगर इसके माने ये नहीं कि मैं जानबूझ कर गलत बयान कर रहा हूं। मेरा आप से यह भी निवेदन है कि जहां तक हो सका है मैंने राजप्रमुख के भाषण को बहुत गौर से पढ़ा है; जितना समय मेरे पास था, कल ४ बजे छुट्टी मिली आज ८ बजे सुबह हाजिर हुआ। इस तरह जितना समय मिल सका था, जितनी मेरे में शक्ति थी, इसको देखने की कोशिश की और इसमें एक कमी मैं पाता हूं और वह कमी एक मद के लिये नहीं बल्कि सभी अभिभाषण के लिए लागू है। इसके प्रमाण में वे आंकड़े नहीं दिये गये हैं जिनसे हमे तसल्ली होती। एक बात ले लीजिये। मसलन अपने अभिभाषण में श्रीमन् राजप्रमुख ने हमे यह बतलाया है कि हमने दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों के लिए बहुत काम खोले हैं। अब हम यहां बैठे हुए जरूर यह जानना चाहते है कि आखिर आपने काम खोले तो कहां खोले और वे काम कितनी मालियत के थे और उनसे जनता को कोई राहत पहुंची या नहीं? ये काम सारे दुर्भिक्ष के इलाके में फैले हुए थे या किसी खास इलाके में ये सारी बातें हम जानना चाहते हैं और जानेंगे, तभी नतीजा निकालेंगे कि ये सब बातें ठीक है या नहीं? मेरे पीछे बैठे हुए कोटा से आये हुए एक सज्जन ने मुझे कहा है कि उनके इलाके में जहां निस्सन्देह अकाल है वहां कोई "फेमिन वर्क" नहीं हुआ। मेरे लिए कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि उनकी बात मानली जाय। यदि कोई तफसील होती कि ये काम खोले गये है तो यह बात जाहिर होती कि राजस्थान सरकार ने दुर्भिक्ष पीड़ितों के लिये कोई ठोस काम किया है।

मैं अपने भाषण को लम्बा न बनाता हुआ यही बात शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग के लिये कहूंगा। मैं जानता हूं कि इस विभाग का चार्ज एक उत्साही नवयुवक मित्र के पास था। उनमें जोश है, उत्साह है और उनकी भावना काम करने की है। लेकिन हर इन्सान खतावर हो सकता है। मैं नहीं समझता उनसे कोई खता नहीं हुई। यदि वे इमानदारी से मुझे समझने की कोशिश करेंगे तो वे मानेंगे कि उनसे भी कई खतायें हुई हैं।

मेरा निवेदन है कि केवल दो चार जगह प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन करने से ही अगर १०० अशिक्षितों में से अब केवल दस ही अशिक्षित रह गये हों या पहले इतनी प्राइमरी स्कूलें थी और अब इतनी और ज्यादा खुल गई है तथा इतने अस्पताल थे अब इतने और खोले गये हैं कोई ठोस काम हुआ हो सो मुझे नहीं दिखाई देता। ऐसी स्कूलों से मेरा मतलब नहीं है जिनका सम्बन्ध केवल प्रचार से है। अखबारों की दुनिया लुभाने वाली दुनिया है लेकिन उनसे समझदार आदमी उससे लुभाते नहीं है। कई जगह राजस्थान में ऐसी स्कूलें मौजूद हैं जहां नाम मात्र की तो वहां शिक्षा है। यदि कहीं शिक्षक पहुंच गये तो वहां पढ़ने वाले छात्र नहीं है और यदि कहीं साइन्स क्लासें खुल गई है तो वहां साइन्स के एपरेटस नहीं हैं। ऐसी स्कूलों से आजकल प्रचार के सिवाय कोई फायदा नहीं होता। प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर कुछ लोगों को तरक्कियें दे दीजिये, कुछ को इनाम इकरार बांट दीजिये चाहे काम कुछ हुआ हो या नहीं लेकिन जितना खर्च होता है, जितना समय जाता है उतना काम होता है या नहीं। सरकार का जितना खर्च होता है उसके अनुरूप काम होता है या नहीं। आप

जयपुर में शहर सफाई सप्ताह मनाते हैं लेकिन जयपुर की गलियें उतनी ही गन्दी हैं जितनी पहले थी तो इससे क्या फायदा ? हमें जनता की आदतें सुधारनी हैं और उसके लिये सतत् प्रयत्न करना चाहिये । आप दिखावे का काम करके खुश हो लीजिये, आप चन्द चन्द बड़े आदमियों को प्रभावित करलें या अखबारों में प्रचार करा कर प्रशंसा हासिल करलें लेकिन यह कसौटी हमारे काम की नहीं हैं । प्रश्न यह है कि उनसे प्रान्त का भला होता है या नहीं, जो काम कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं, जनता की भलाई होरही है या नहीं, जनता का धन अकारण नहीं जा रहा है ये सब बातें देखने की हैं । ऐसा होने पर हीजनता सुशिक्षित या समृद्धिशाली हो सकती है । यदि यह बात उनके ध्यान में नहीं रही तो मेरा नम्र निवेदन ह, अध्यक्ष महोदय, कि हमारा धन बरबाद होगा । मुल्क का काम प्रचार से नहीं होता । जहां तक शिक्षा और चिकित्सा का सवाल है, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि जो बात राजप्रमुख महोदय के अभिभाषण में कही गई है वह विशेषतया जनता की भलाई को आगे लेजाने वाली है । कह सकते हैं कि कुछ तात्कालिक काम हो पाये हैं वे अब बन्द भी हो सकते हैं । लेकिन जब तब हमारे सामने कुछ ठोस काम का विवरण न हो उनके सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

अब रहा सवाल स्थानीय एडेड स्कूलों के बारे में । इनसे मेरा सम्पर्क रहा है । ऐसी स्कूलों को कुछ अंश में, मदद दी जाती है । जहां तक मेरा अनुभव है में आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है । मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है और आप बुरा नहीं मानेंगे यदि में यह कहने की धृष्टता करूं, कि एकीकरण के पहले भिन्न भिन्न रियासतों में जो स्थिति इन स्कूलों की थी उनसे अब बदतर है । इनका खर्चा बढ़ रहा है। समय समय पर जोर डाला जाता है कि अध्यापकों के वेतन बढ़ाये जावें । मैं उन लोगों में से हूं जो शिक्षकों को हमारे समाज के आभूषण मानते हैं। इनको अच्छी तनख्वाह देनी चाहिये; लेकिन साथ में साधन भी होना चाहिये । यदि आप पूरी सहायता उन स्कूलों को नहीं दें और उनके साधन बढ़ाने व साधन जुटाने पर कई ऐतराज समय समय पर करते रहें तो कैसे काम चल सकता है लेकिन जब इन स्कूलों का खर्चा बढ़ाया जाता है तो उसके साथ ही साथ उनको राज्य द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता नहीं बढाई जाती, तो नतीजा यह होता है कि वे दिन दिन पिछड़ने वाली हो जाती हैं-और उनकी स्थिति ऐसी भयानक हो जाती है कि स्कूल का चलना दुश्वार होजाता है। जब हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो तो हमें चाहिये कि हम उन्हें प्रोत्साहन दें। मैं केवल ऐतराज की गरज से नहीं कहता। यही वस्तुस्थिति है और मैं अनुभव से कहरहा हूं कोरी बहस के लिए हाजिर नहीं हुआ हूं । मेरा पूछना है कि सहायता इन स्कूलों को क्या मिलती है ? मसलन जोधपुर जब अलग रियासत थी तब ऐसी स्कूलों को क्या सहायता मिलती थी और अब क्या सहायता मिलती है ? इस समय उक्त स्कूलों में छात्रों और अध्यापकों की कितनी संख्या है ? यदि आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इस मामले में जितने उत्साह से सरकार को सहायता देनी चाहिये थी उतनी नहीं दी गई। मैं आशा करता हूं कि इस मामले में गवर्नमेन्ट और अधिक जागरूक रहेगी ।

एक और बात मुझे आपके सामने अभिभाषण पर बहस करते हुए कहनी पड़ती है वह है हमारे राज्य की "कर" नीति के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारा प्रान्त बहुत गरीब प्रान्त है और इसका सच्चे मायने में औद्योगिकरण हुआ नहीं। यह मैं जरूर कहूंगा जितने भी उद्योग धंधे दिखाई पड़ते हैं वे सभी शहरों में हैं। आम तौर पर औद्योगिकरण की नीति न तो हमारे नये प्रान्त ने, न पुराने रजवाड़ों ने अपनाई। चूंकि हमारा प्रान्त एक गरीब प्रान्त है इसलिये यह आवश्यक होजाता है कि इस प्रान्त में रहने वाले आम लोगों पर करों का बोझ इतना न डालें जिससे उनकी हड्डी ही टूट जाए। तरह तरह के टैक्स, जाने हुये या अजाने हुए, लगते रहते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जोधपुर म्युनिसिपैलिटी द्वारा लगाय गये औक्ट्रोय टैक्स के संबन्ध में काफी आन्दोलन हो रहा है और जनता बहुत चिन्तित है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हम कस्टम अलग देते हैं, इनकमटैक्स और लग गया है और अब ओक्ट्रोय टैक्स देने की बारी आई है। तो कृपा करके समझिये कि इसका नतीजा क्या होने वाला है जैसे जैसे हम समृद्धिशाली हों, जैसे जैसे हम अधिक धनवान हों वैसे वसे हमारे पर टैक्स लगाये जाये ? मैं यह नहीं कहता कि बगैर टैक्स के किसी भी सरकार का काम चल सकता है। मैं कभी भी इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कहूंगा। दूसरी तरफ आपको इस पर भी ध्यान देना होगा कि जब आप सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही खतम कर देंगे तो अंडे कहां से आयेंगे।

जब हमारा प्रान्त इतना गरीब है और वह करों में इतना फंस जायगा तो उसका नतीजा भयंकर होगा। उस नतीजे से हमको पहले से ही सावधान रहना चाहिये। वरना स्थिति सम्भाले भी नहीं संभलेगी। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जरूरत हो उतना ही खर्च किया जाय, फिजूल खर्चा कम हो। हमारे प्रान्त की हालत को देखते हुवे जितने भी टैक्स वाजिब हों, लगायें जायं किन्तु यह नहीं कि खर्चा अनाप शनाप किया जाय। माफ करियेगा, अक्सर यह सुना जाता है कि गैर जरूरी खर्चे सफर आदि में गैर सरकारी कामों में हो जाते हैं जो सरकारी खजाने से उठाया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं हाउस के नेता से निवेदन करूंगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। बेकायदा तबादलों का भी फिजूल खर्च है। एक आदमी के तबादले का हुक्म निकला, दूसरी मर्तबा रद्द हुआ, तीसरी मर्तबा फिर तीसरा हुक्म होता है तो यह कैसी कैफियत है? यह ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारे प्रान्त को कोई भलाई नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि जहां तक हो फिजूल खर्ची से परहेज किया जाय, हमारे प्रान्त के लिये वांछनीय है। हमारी गरीब जनता पर अधिक टैक्स नहीं लगाये जायं इस सम्बन्ध में राजप्रमुख के अभिभाषण में कोई आदेश नहीं है, यह खटकने वाली बात है।

जहां तक हमारे प्रान्त के बहुत अधिक तादाद वाले हिस्से का सवाल है, मेरा मतलब किसान वर्ग से है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे में से कोई भी यह इरादा नहीं रखता और न रखना चाहिये कि किसानों को जिबह करके हम अपना या मुल्क का भला कर सकते हैं। मेरे माननीय मित्रने, जो मेरे दायें हाथ

की ओर बैठे हैं उन्होंने आपके सामने स्थिति स्पष्ट की है। जागीर पुनर्गृहण के मामले में आर्थिक दृष्टी से उनको कोई ऐतराज नहीं है। उनको ऐतराज जागीरों को पुन: ग्रहण के मामले में एक राजनैतिक दृष्टि से है। उनका कहना है कि बदला लेने की भावना से काम किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस नीति में जरूर संशोधन किया जाना चाहिये। मुल्क की भलाई इसी में है कि हम सद्भावना से काम करें न कि बुरा भला कहें, इससे प्रान्त की कभी भलाई नहीं हो सकती।

दूसरा मेरा निवेदन है बन्दोबस्त और पैमाइस के सम्बन्ध में। श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में कहा गया है कि सरकार इन्हें जल्दी पूरा करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह कार्य जितना जल्दी मुमकिन हो समाप्त किया जाय, इस सम्बन्ध में निश्चित समय मुकर्रर किया जाय, समय का टारगेट मुकर्रर करें कि इतने वर्षों में, चाहे वह ५–४ वर्ष हों। आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इस काम की लम्बाई चौड़ाई देखिये। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में एक समय की अवधि मुकर्रर की जानी चाहिये ताकि हमारी जनता का जो किसान वर्ग है उनके और एक वर्ग के बीच मनोमालिन्य को जल्दी से जल्दी मिटाया जा सके।

मुझे आपको एक और बात निवेदन करनी है जिसके सम्बन्ध में मेरे विचार बहुत मजबूत हैं। यदि मैं कुछ सख्त भाषा का इस्तेमाल करूं तो आप नाराज न होंगे। वह बात है अपने प्रान्त के कुछ हिस्सों में शान्ति और व्यवस्था की। खास कर राजस्थान के जिस हिस्से से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वहां पर बड़ी दर्दनाक हालत है 'ला एन्ड आर्डर'' की। क्यों है यह तो मैं नहीं कह सकता? हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि इस बात की असलियत का पता लगायें, लेकिन मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ अनर्गल बातें कही जाती हैं जो प्रचार के लिए भले ही ठीक हो सकती है लेकिन किसी बुद्धिमान के दिमाग में यह बात नहीं जंच सकती। यह बात कही जाती है कि किसी जाति विशेष के ही लोग डकैत हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। समाज में बुरे तत्व हैं, वे बुरे तत्व किसी एक जात ˝ नहीं मिलते। यदि हम किसी भी प्रान्त के जरायम के इतिहास को उठाकर देखें तो आपको यह मालूम होगा कि जरायम करने का ठेका किसी एक खास कौम का नहीं हुआ करता। जो मौका पाते हैं इस बात पर आमादा हो जाते हैं। कभी कभी सफेद पोश लोग भी हो जाते हैं। मेरा निवेदन खास कर इस हाउस के माननीय नेता की तरफ है। उनसे नम्र निवेदन है कि महरबानी करके इस प्रश्न को "टोप प्रायोरिटी" दीजिये यह प्रश्न हमारे सारे प्रान्त की सुख और शान्ति का प्रश्न है। आज एक गांव में डाका पड रहा है तो कल दूसरे गांव में। कभी कभी एक साथ कई जगहों पर डाके पडते हैं, खिवान्दी में डाका हुआ फिर बांकली में हुआ फिर देवली में हुआ और भी कई ऐसे गांव हैं। कभी कभी दो दो चार चार एक साथ हो जाते हैं। आपकी पुलिस इस सम्बन्ध में सतर्क है? मेरा मतलब यह नहीं है कि वे काम नहीं करते। आपको इस बात की जरूरत है कि आप इस बात का उचित प्रबन्ध करें। आप पुलिस का प्रबन्ध काफी करें। हमारे लिए यह मुबारिकवादी की बात नहीं कि अन्य प्रान्तों की अपेक्षा हमारे प्रांत का पुलिस विभाग कम खर्चीला

है। शायद यही वजह है कि हमारे यहां आदमियों की और साधनों की कमी है, इसी वजह से डाके चोरियां दिन दहाड़े बगैर किसी डर से हुआ करती हैं। इस सम्बन्ध में मैं जो कुछ भी बात कहूंगा कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं होगी। इन डाकों की अहमियत को कम करने के लिए यह भी कहा जाता है कि यह जरायम चुनाव को लेकर हुए हैं, कुछ आदमियों को डराने धमकाने के लिए, कुछ को जिताने की गरज से और कुछ को हराने की गरज से हुए हैं। माफ करियेगा मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मुझे यह बात अनर्गल मालूम देती है। इसमें कोई सिद्धान्त नहीं। इससे और खराबी पैदा होती है। हमारे मुल्क के इन्तजाम में जिस चीज को महत्व देना चाहिये था वह रास्ते से दूर हटती जा रही है। नतीजा यह होता है कि जहां कामयाबी हासिल करना जरूरी है वह पूरी नहीं हो पाती। हमें जाना तो जयपुर है और चले जाते हैं जोधपुर, इससे क्या फायदा? अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अगर डकैतों का काम किसी खास व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध रखता है तो उस गांव में रहने वाले ब्राह्मण और महाजनों को क्यों लूटते हैं उन व्यक्तियों को क्यों नहीं लूटते? कसूर करे कोई और सजा पावे कोई? इस सम्बन्ध में मेरा यह भी निवेदन है कि जहां डाकों का इतना जोर शोर हो वहां के लोग सुख की नींद नहीं सो सकते। यह बात अक्षरशः सही है के मानव के दिल और दिमाग में डर की भावना बनी रहती है। कुछ आदमी बहादुरी से मरे। एक रोज सभी मरेंगे पर उनके पास साधन नहीं, क्या करें? इसलिये मेरा निवेदन है कि महरबानी करके आप सावधानी से काम करें। जहां तक बन सकता है इस काम को सबसे पहले करें क्यों कि जब मानव जीवन ही खतरे में हो तो आगे की कौनसी मंजिल तय करनी होती है? कई लोग ईश्वर और पुनर्जन्म नहीं मानते हैं? उनका यह मानना है कि जो कुछ मिलने वाला है इसी मानव जीवन में ही मिलने वाला है आगे की बातों का क्या एतबार है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले में जितना जल्दी कदम उठाया जायगा उतना ही हमारे प्रान्त के लिए अधिक हितकारी होगा। हम व्यक्तिगत रूप से पार्टी के रूप से अध्यक्ष महोदय हर समय मदद करने के लिए तैयार हैं, जहां तक हमारे बस की बात है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हाउस के हर कोने से इस कार्य में मदद मिलती रहेगी। अध्यक्ष महोदय यह मेरा आपके द्वारा नम्र निवेदन है।

एक छोटी सी बात मुझे जो याद आ गई है, इस सम्बन्ध में, वह किसी स्थानीय भावना से नहीं है लेकिन वह बात मेरी समझ में कुछ खटकने वाली है। यद्यपि दूसरे पक्ष के एक मित्र ने उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है परन्तु राजप्रमुख के अभिभाषण में उस संबन्ध में कोई जिक्र नहीं है। मेरा मतलब जवाई बांध से यह जवाई बांध की स्कीम (योजना) जो इतने वर्षों से चल रही है, कोई नई स्कीम नहीं है। जहां तक मेरा खयाल है यह तो जोधपुर रियासत जब थी उस समय भी कई वर्षों से चल रही थी। उसका क्या हुआ, उसकी क्या प्रगति है, कब तक वह सम्पूर्ण होगी? इस सम्बन्ध में जब कि दूसरे सिंचाई के साधनों का जिक्र है, वहां पर कम से कम हमारे उस हिस्से के लिए वह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया, यह मेरी समझ में नहीं

आता । शायद आजकल इस काम की अहमियत नहीं है सो तो मैं मानता नहीं मेरे मित्र श्री माथुर ने इस संबन्ध में कुछ बातें जरूर कही हैं लेकिन उनके कहने से काम चलता नहीं । हम तो चाहते थे कि इस संबन्ध में सरकार की ओर से प्रमाणित तरीके से कोई बात कही जाती । क्या हम पूछ सकते हैं कि यह योजना जो वर्षों से चल रही है उसके साथ कोई सौतेलेपन का तो व्यवहार नहीं हो रहा है ? नई योजना तो आप ले रहे हैं लेकिन पुरानी योजनाओं का जिक्र तक नहीं करते तो मेरे खयाल से लोगों के दिलों में ऐसी वैसी भावना पैदा होती है । इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह हमारे सामने बैठे हुए सदन के नेता इस सम्बन्ध में अवश्य ही प्रकाश डालेंगे । और मैं तो जहां तक इस संबन्ध में नम्र निवेदन कर सकता हूं कि यह कमी अखरने वाली कमी है । यह कमी रहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऐसे बड़े मामलों में, मेरी समझ में यह करोड़ों रुपयों की स्कीम है कोई छोटी मोटी स्कीमें नहीं है, ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए थी जहां हमने अपने प्रांत की इतनी बड़ी निधि लगायी है उस योजना का जिक्र अभिभाषण में नहीं हो यह कोई शोभनीय बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने आपकी कृपा से इस सदन का काफी समय लिया है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं यदि अपनी नियत अवधि से कुछ समय अधिक लिया हो । अन्त में मेरा निवेदन यही है कि मैं असल में किसी चीज की कीमत को कोरी बातों में नहीं समझता, लेकिन काम से मानता हूं । अंग्रेजी में बहुत मशहूर कहावत है "दी प्रूफ आफ दी पुडिंग इज इन दी ईटिंग एन्ड नाट इन दी टॉकिंग देयर आफ" भोजन का स्वाद खाने से मिलता है बातें करने से नहीं ।

मुझे दुख के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि इस अभिभाषण में बहुत सारी बातें जो काम की बातें हैं, जिनके संबन्ध में हम लोगों को भविष्य के लिए आश्वासन दिलाये गये थे उन बातों के संबन्ध में जो अब तक काम हुए हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं ।

मेरा नम्र निवेदन है कि जिस मात्रा में आप काम कर पाये हैं वह काम बहुत अधिक मात्रा में कर सकते थे अगर हम उस काम के प्रति जागरूक होते और यह दुख की बात है कि हमारे इस नये प्रान्त के लिए, जो शिशु अवस्था में है, भगवान की दया है कि हम छोटे २ टुकड़ों से अलग २ होकर एक बहुत बड़े प्रान्त में शरीक हुए । इस सम्बन्ध में हम उस हमारे मुल्क के नेता सरदार पटेल की जितनी तारीफ करें, थोड़ी है । उन्होंने यह आश्चर्यजनक परिवर्तन हमारे प्रान्त में संपादित किया, । लेकिन मैं समझता हूं कि उनका काम तभी पूरा हो सकता है जब कि जिस भावना को लेकर, जिस जन हित की भावना को लेकर, उन्होंने हमारे इन अलग अलग टुकड़ों को एक इकाई के सूत्र में बाँधा है वह भावना पूरी हो ।

अब एक बात अन्त में मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि हम इन टुकड़ों को, प्रादेशिक टुकड़ों को, अलग २ जमीन के टुकडों को, एकीकरण करने के लिये तैयार हो सकते हैं, लेकिन वे टुकड़े असल में जुड़ते नहीं जब तक कि हमारे मन

नहीं जुड़ते । मुल्क का काम करने का ठेका किसी एक वर्ग या दल का नहीं और न ऐसी समझ इस सम्बन्ध में होनी चाहिए । यह हमारे प्रान्त का दुर्भाग्य है कि इस तरह कुछ लोग यह समझते हैं कि अगर देश प्रेम कहीं हो सकता है तो इस सदन के केवल एक कोने में ही, दूसरे कोने में नहीं मेरा किसी खास कोने से मतलब नहीं, लेकिन यह भावना देखने में आती है । इसका भयंकर परिणाम हुआ । हमारे देश में ऐसे बहुत से प्रभावशाली, प्रतिभाशाली तत्व मौजूद हैं जो कि आपके काम में सहयोगी हो सकते हैं और जिनकी सेवाओं का आपको लाभ पहुंच सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको भी उनकी सेवाओं की जरूरत हो । मुल्क के काम में सब को काम पर लगाना आवश्यक है, और अगर आप मुल्क के कुछ तत्वों को इस भावना से दूर रखते हैं, और आप यह समझते हैं कि मुल्क में अगर कोई काम किया जा सकता है तो उसको हमारा ही दल कर सकता है और हमारे ही दल के आदमी कर सकते हैं और दूसरों को न तो अधिकार ही है, न उनमें क्षमता है और न बुद्धि ही तो मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं, कि आप यह बड़ी ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। इस भूल को आप महसूस करते हैं या नहीं, पहले महसूस नहीं करते थे, शायद अब करते भी हों, ऐसा हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए ऐसी गलती न कीजिएगा । मेरा आप से यह निवेदन है कि राज्य की सत्ता आपके हाथ में है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी दल के हित के लिए काम करें । श्रीमन् राजप्रमुख ने सच्चे मानें में आपको-हमको दोनों को आदेश दिए हैं, वे आपके प्रति ज्यादा लागू होते हैं, क्योंकि राज्य की सत्ता आपके हाथ में है। आप इस दृष्टि से ही कार्य करें कि जनता का राज्य जनता के द्वारा जनता के हित के लिए हो । यह दृष्टिकोण हम सामने रखकर चलें तो फिर यह दलबन्दी की भावनायें हमें दूर करनी चाहिये । इस दल-दल से ऊपर उठकर, मिलकर काम करना चाहिये। तभी मुल्क का हित हो सकता है । जहां एक तरफ आप अपना लक्ष्य यों घोषित करते हैं कि पिछड़ी हुई जातियों को ऊपर उठाना चाहिये, हम भारतवर्ष में ऐसा काम करना चाहते हैं, एक ऐसी समाज का निर्माण करना चाहते हैं कि जो वर्ग विहीन हो, जो जाति विहीन हो, और दूसरी ओर आप नई जाति खड़ी करते हैं तो यह कैसी बात है ? (करतल ध्वनि) मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ हृदय संशोधन की आवश्यकता है। अगर पहले कुछ गलतियां हुई हों तो उनको दुरुस्त करें और जब तक यह भावना हमारे दिलों में नहीं होगी जब तक मुल्क में काम करने वाले अच्छे लोग मिल नहीं सकते हमारे प्रान्त का कार्य अच्छी तरह नहीं चल सकता । यह हो नहीं सकता कि सारा कार्य एक दल के लोग करें, अगर उनमें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी हो तो काम पड़ा रहे पर किसी और को अवसर नहीं दिया जाय, यह चीज संसार में कभी हुई नहीं, किसी दल की दलबन्दी कायम नहीं रही । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप समय की मांग को पहचानें । आपके हाथ में राज्य सत्ता है ? बहुत बड़ा जिम्मा आपने लिया है, बहुत से प्रान्त की हित की बातें आपकी अमानत में रखी हुई हैं? । भगवान आप को सद्बुद्धि दे कि उस अमानत में खयानत न हो। मेरा तो आपसे यही निवेदन है ।

(करतल ध्वनि)

Raja Shri Man Singh

MR. SPEAKER, SIR,

In the address of His Highness the Rajpramukh, reference was made to the recent General Elections. Since the elections are the foundation of the Democratic Body assembled here, and the matter is of great importance, I feel that further reference to the matter should be made. It was suggested that the elections were conducted with all fairness, efficiency and impartiality. The elections were a great experiment, which in some cases were a gross abuse of the spirit of the Constitution of India.

The foundation of democracy lies in various elections that have taken place and will take place. The principle of democracy can only be enforced after the true representatives of the people have been elected to the various controlling and advisory bodies of the Government.

Here, in Rajasthan we had many instances where gross mal-practices took place. We must ensure, if possible, that in future these do not occur. Of these mal-practices I will only remind the members, of a few, as they are already more or less general knowledge. I am going to say bitter things, remembering that the truth is bitter.

It was most difficult, at times, due to the complicated rule adopted, to differentiate between the Minister of the State and the candidate, where the duel capacity was held by some individuals at the same time. In Bharatpur and Karauli, in particular, the congress candidate for the Bharatpur Assemby Constituency, and the congress candidate for the Bharatpur-Sawai Madhopur Parliamentary Constituency, openly used their influence as minister over the Police and the election staff, for their advantage as congress candidates. I am sorry to say that the gentlemen were not successful in their schemes.

In Bansur Constituency, petty congress propagandists and volunteers, some in their capacity of ministers and higher positions, came with police escorts and threatened to abuse the very fundamental rights of the people of this Great State, in case if they, the people, did not vote for the congress party. Even to the extent that I and my colleagues were openly threatened, from the congress platform by these gentlemen, with imprisonment for propagating for the non-congress party.

If all this, and that which is already known, is fairness, efficiency and impartiality then I must make the necessary corrections in my dictionary against these words.

It may be said that all this is a matter for the Election Commission, but I maintain that it is the responsibility of the Government to convince the Electorate of this State, that the future elections within this State will not, in any circumstances, be influenced by the Government machinery, and that proper enquiry shall be held in the official mal-practices which took place during the elections.

Bearing in mind the way the Government machinery was directed, all I can say is that, we are here in these benches to-day due to the courage of the electorate and their determination to see that Democracy will survive in our Country.

In the end I should like to say that I cannot support the motion of thanks proposed, in the form it stands at present.

श्रीमाधवप्रसाद

माननीय अध्यक्ष, राजप्रमुख के अभिभाषण में बहुत सी बात जो कहनी चाहिये थीं नहीं कही गई हैं। इनके भाषण में कोटा महाराज ने ७ करोड़ रुपया चम्बल नदी की योजना में दिया; उसका कहीं जिक्र नहीं है और न यह बतलाया गया है कि उनका क्या हुआ ? इसी तरह से ६ करोड़ ९० लाख रुपया बीकानेर से जयपुर आया उसका उल्लेख भी कहीं नहीं किया गया है । इसके अलावा सरकार ने आयुर्वेद के प्रचार के लिये अभी तक कुछ नहीं किया है। आयुर्वेद संस्था के बहुत से विद्वानों को कुछ दिन पहले बुलाया गया था मगर वे सब पंडित यहां से वापिस खर्चा लगा कर चले गये। सरकार ने यह कहा कि हमारे पास आयुर्वेद के लिये खर्चा नहीं है। जब सरकार एलोपेथी पर लाखों रुपया खर्च करती है तो आयुर्वेद को भी प्रोत्साहन अवश्य मिलना चाहिये।

इसके अलावा कालेजों और स्कूलों के सम्बन्ध में जो कहा गया है उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि कालेजों और स्कूलों की ऐसी दुर्व्यवस्था हो रही है कि उसके लिये कोई पूछने वाला नहीं। कहीं बी. ए. और बी. एस. सी के लिये क्लासेज खुली हुई हैं मगर उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। यह बात किसी को मालूम तक नहीं कि वहां पर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं या नहीं। इसके अलावा ग्रामों की दशा सुधारने के लिये क्या क्या कार्य किये गये और क्या नहीं किये गये उन पर क्या विचार प्रकट किये हैं ? मैं कहूंगा कोई विचार प्रकट नहीं किए गए । हमारे पूज्य महात्मा गांधीजी ने जिस रास्ते पर चलने के लिये हमें आदेश दिया और जो रास्ता बताया वह यह था कि पंचायती राज्य हर ग्राम में कायम हो जिससे जनता को सुविधा हो और सस्ता इन्साफ वहीं का वहीं मिल सके। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों ने आज तक क्या क्या काम किये हैं ? यह कहीं भी नहीं बताया गया है ।

ऐसा सुनने में आया है कि लोहिया कालेज में ५६ हजार रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है; सरकार की तरफ से। फिर भी वहां अध्यापक पढाने वाले नहीं। वहां योग्य अध्यापक नहीं हैं। ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है और श्रीमन् राजप्रमुख द्वारा भाषण दिलाया गया है वह अपूर्ण है। इस भाषण में उद्योग धन्धों के बारे में कोई बात हमारे सामने नहीं आई है। कहा जाता है कि सभी धनपतियों ने अपने अपने धन को अन्डर ग्राउन्ड कर दिया है और धन देते नही हैं। वे क्यों नहीं देते हैं इसका उत्तर यह है कि इन्कम टेक्स से बचना चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि जनता गरीब है और धनपतियों को चाहिये कि वे अपना धन बाहर निकाल कर उसका सदुपयोग करें। राजप्रमुख के भाषण में बताया गया है कि आवागमन के साधनों में कठिनाई है। बीकानेर का कोम्युनिकेशन बहुत खराब है। रेलवे लाइन नहीं है, सड़कें नहीं हैं इसलिये ये सब काम होना बहुत जरूरी है। यह कहा जाता है कि रेलवे लाइन के लिये १०-२० लाख रुपया लगाया गया; मगर यह मालूम नहीं पड़ता कि कहां पर लगाया गया ? इस लिये कहां कहां क्या क्या काम हुए यह सब बताना जरूरी था जिससे यह पता लगता है कि आया वे काम जो कराये गये वे जरूरी थे या उससे भी ज्यादा जरूरी काम थे जो नहीं कराये गये। वास्तव में जरूरी काम पहले होने चाहिये। फतहपुर से आगे चूरू-बिसाऊ लाइन जो बननी थी वह अभी तक नहीं बनी है। तीन वर्षों से सड़कें बनने की योजना चल रही है मगर अब तक वहां पर सड़कें नहीं बन सकी हैं।

ऐसा कहा गया है कि बीकानेर से हाई कोर्ट उठा दिया गया है। बहुत से रेवेन्यू कोर्ट भी उठा दिये जावेंगे। इससे जनता का पैसा बहुत खराब होगा। जनता गरीब है इसके लिये कोई और तरीका होना चाहिये। ऊन के उद्योग धन्धों के लिये बीकानेर बहुत प्रसिद्ध है; मगर ऊन के उद्योग धन्धों के लिये कार्यालय बीकानेर से हटा कर जयपुर लाया गया है।

एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि बीकानेर नरेश श्री गंगासिंहजी ने गंगानगर बसाया और उसको आबपाशी विभाग का सेन्टर बनाया; मगर अब उसका सेन्टर वहां से हटा कर अलवर में लाया गया है। यह अनुचित बात है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव एक नहीं होनी चाहिये। यह पहले अलग अलग थीं और अब भी अलग अलग ही रहनी चाहिये। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि दोनों को एक किया जा रहा है। इतना ही नहीं आज-कल करप्शन (भ्रष्टाचार) इस हद तक बढ गया है कि यदि उसको शीघ्र नहीं रोका गया तो हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे। एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि रजिस्ट्रेशन का काम जो रतनगढ में होता था वहां से हटा लिया गया है। इससे जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके सिवाय भी बहुत से काम हैं जिनका जिक्र राजप्रमुख के अभिभाषण में नहीं है। जैसे अपने देश में पहले धर्मादे का काम होता था। वह होना चाहिये। जिससे गरीबों और अपंगों को सहायता मिले। जिस प्रकार

का बंबई में एक पब्लिक ट्रस्ट एक्ट बना हुआ है उसी प्रकार का एक्ट यहां पर भी होना चाहिये ।

श्री वेदपाल त्यागी:-अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके विषय में हमारे सामने बैठने वाले कुछ सदस्यों ने आपत्तियां की हैं । मैं इसके लिये निवेदन करूंगा कि जहां जहां डेमोक्रेटिक (प्रजातन्त्र) ढंग का शासन है वहां पर जो हेड ऑफ दी स्टेट (राज्य के प्रमुख) हैं उनका इस प्रकार जब भाषण होता है तो उनके उपलक्ष में सम्मान प्रकट किया करते हैं और उस प्रस्ताव को बिना किसी रोक रुकावट के पास करते हैं । लेकिन अपोजिशन (विरोधी दल) के जो नेता हैं उन्होंने इस प्रस्ताव को टालने का प्रयत्न किया है और कहा है कि हम इस प्रस्ताव में शामिल नहीं होते । मैं समझता हूं क्यों कि हमारे प्रान्त में यह प्रथम अवसर है जब कि एसेम्बली मीट हुई है तो स्पष्ट है कि हमारे यहां भी जो परम्परा और और जगह कायम हुई है, उससे जानकारी न होने के कारण ही शायद यह बात कही गई है वैसी परम्परा कायम रहे । मैं निवेदन करूंगा कि राजप्रमुख सरकार के अध्यक्ष नहीं है बल्कि स्टेट के अध्यक्ष हैं; इसलिए उनके प्रति सम्मान प्रकट करना हमारा कर्तव्य है और इसके लिये हम उक्त प्रस्ताव पास करें । गवर्नमेन्ट के खिलाफ उनकी शिकायतें है तो उन शिकायतों के लिये संशोधन लावें कि गवर्नमेन्ट की फलां पोलीसी से इत्तिफाक नहीं है । इसे पेश करना उनका अधिकार है । सब से पहले श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में जिस बात पर आपत्ति उठाई गई है और जिसके बारे में मेरे कुछ मित्रों को संदेह है वह यह कि हमारे यहां इलेक्शन मशीनरी (चुनाव अधिकारी) जो राज्य के कर्मचारी थे, उन लोगों को जो पार्टी पावर में है उसने अपने लिये इस्तेमाल किया । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उन सरकारी अफसरों ने बहुत निष्पक्षता से काम किया । यह बात अलग है कि कोई किसी से व्यक्तिगत सहानुभूति रखता हो । लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा है मैं कहूंगा कि न केवल राजस्थान में ही बल्कि सारे भारतवर्ष में ये प्रथम चुनाव जितने निष्पक्ष रूप से हो सकते थे हुए और भारतीय संसद के अपोजिशन (विरोधी दल) के नेता श्री डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी आदि ने भी इसकी प्रशंसा की है । न केवल भारतीय लोगों ने ही बल्कि जो लोग बाहर से चुनाव देखने आए थे उन्होंने भी इस बात की तारीफ की है कि इस मुल्क में,जहां पर कि अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, प्रथम चुनाव इतनी अच्छी तरह से हुए इसके लिए हमारी सरकार वास्तव में बधाई की पात्र है । मैं कहूंगा कि राजस्थान में, जहां तक मुझे मालूम है, चुनाव अच्छा तरह से सम्पन्न हुवे हैं । राज्य कर्मचारियों ने बिना किसी भेदभाव के पूरी कोशिश की है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हों । मैं इस बात को जानता हूं क्यों कि मैं जहां से चुनाव लड़कर आया हूं, वहां कुछ लोगों ने चुनाव के सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रचार किया कि जो चनाव के सम्बन्ध में नियम लागू किये गये हैं उनके विपरीत धर्म के रूप में, धर्म के नाम पर, गौहत्या के नाम पर, गलत नारे लगाये गये । यह प्रथम चुनाव था, इससे जिन लोगों ने राजनीति में पदार्पण किया है या जो नये नये आये हैं और जो पहले इस ओर से विपरीत थे, उनका कर्तव्य था कि वे लोगों के सामने ऐसा मार्ग प्रदर्शित करते जो सही मार्ग से उन्हें वोट देते । लेकिन दुःख है कि हमारे विपक्षी

दल के लोगों ने, जो कुछ यहां मौजूद हैं और कुछ नहीं भी आ सके हैं, धर्म के नाम पर गलत प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गौ-कसी करती है, धर्म नष्ट भ्रष्ट कर देगी. आप लोगों को भंगी बना देगी, आपकी बहन बेटियों की शादी भंगियों से करायेगी। मैं समझता हूं कि इस तरह का गलत प्रचार सीमित रहना चाहिये था। वही बात यहां भी आगई है। राजस्थान में हम लोगों को मिल कर कार्य करना है। ऐसा तभी होगा जब की दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को पूरा सहयोग दें और एक दूसरे के मार्ग में रोड़े न अटकावें। यदि ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग कामयाब हो सकते हैं। चुनाव के समय जिस तरह इनसानियत को भूल जाते हैं उस तरह अब उन बातों का खयाल न करके इस बात का खयाल हमको रखना है कि हम साथ बैठे हैं, हमें बड़े बड़े काम करने हैं। जिनके प्रतिनिधि हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना, सामाजिक उत्थान करने का प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। हम मिल कर पुरानी बातों को भूल कर सब काम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस बात की ओर तवज्जह दिलाऊंगा की अभी माननीय जसवन्तसिंहजी ने कहा था कि हमारे सदन की भाषा हिन्दी हो; लेकिन उन्हीं की पार्टी के राजा, मानसिंहजी अंग्रेजी में भाषण दे गये। उससे उनकी बात कमजोर हो गई। हमारे माननीय वामपक्षी नेता ने कहा है कि जब श्रीमन् राजप्रमुख द्वारा स्पीच पढी जा रही थी उस समय यह महसूस हो रहा था कि हम हाउस ओफ लॉर्ड्स में बैठे हैं; यह सरकार का कर्तव्य है कि अपनी मातृ-भाषा में कार्य वाही करें। मुझे आशा है वामपक्षी नेता अपने पक्ष के समर्थकों और सदस्यों से निवेदन करें कि वे भी हिन्दी में ही बोलें। अभी राजा मानसिंहजी ने अंग्रेजी में भाषण दिया और उससे उनका पक्ष कमजोर ही हुआ; श्रीमन् राजप्रमुख अपना भाषण हिन्दी में यदि पढते तो अच्छा रहता। यदि वे हिन्दी में नहीं पढ़ सकते तो यह भी परम्परा चली आरही है कि अपना भाषण किसी और से पढ़वा सकते थे।

दूसरी तवज्जोह, मैं अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के लिए, इस ओर दिलाना चाहता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख ने फरमाया था कि हमारे यहां के राज्य कर्मचारियों ने जो काम किया है उसके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं। राज्य कर्मचारी-गण, जहां तक हो सकता है, पूरी तरह से काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इस ओर तवज्जोह दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में जो क्रान्ति हुई है उसके फलस्वरूप राज्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी के हाथ में आया है। विदेशियों को यहां से निकाल कर सत्ता हमने अपने हाथ में ली है। उसमें सिवाय उन लोगों ने जो एक पार्टी से सम्बन्धित थे, देश में रह कर विदेशियों से लड़ाई लड़ी। दूसरे लोगों ने कोई भी त्याग नहीं किया। दूसरे लोगों ने किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं किया; कोई कार्य नहीं किया। १४ अगस्त, १९४७ को हमारा राज बदला लेकिन वे अपने आपको न बदल सके। हमने महसूस किया कि राज्य बदलने पर ही हमारा शासन हमारे पास आया। हमारे पर क्या क्या जिम्मेदारी आयी हैं ? आज नयी मशीनरी है लेकिन उसके वही पुर्जे हैं जो ब्रिटिश शासन काल में थे। वे अपने आपको डेमोक्रेसी में पूरी तरह ढाल नहीं सके।

मेरी गुजारिश है कि हमें सावधानी की जरूरत है। प्रजातंत्र में हमारी सर्विसेज क्लास की बहुत सुरक्षा है। प्रजातंत्र में सरकारें बदला करती हैं। एक पार्टी की सरकार बदल कर दूसरी पार्टी की सरकार आती है। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम सरकारी नौकरों को आश्वासन दें; चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनके हित हमेशा सुरक्षित रहेंगे। उनकी सर्विसेज पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम राज्य कर्मचारियों के दिमागों को परिवर्तित करें। अब वह समय नहीं कि किसी विचार परम्परा को कायम रखने के लिए वे कायम हैं। वे अब वास्तव में हमारे सिविल सरवेन्ट्स, पब्लिक सरवेन्ट्स यानि जनता के सेवक अपने आपको समझ कर कार्य करें। अब उन्हें जनता की वास्तविक सेवा करनी है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमारे राज्य कर्मचारियों में अभी तक वह परिवर्तन नहीं आया है। वे अपने को सरकारी पोलिसी समझते हैं; जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार के जमाने में वे समझते थे। मगर जनतंत्री सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि हमारी सरकार का सर्व प्रथम यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उन कर्मचारियों को ट्रेनिंग दें। वे अपने आपको सुरक्षित समझते हुए उनमें जो डर है उनको निकाल कर दूर फेंकें। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारियों में बढ़ता जा रहा है। लोगों को तकलीफें दिनो दिन बढ़ती जा रही हैं। वे राज्य कर्मचारी हैं इसलिये ऐसी हालत में हम लोगों को सोचना चाहिये कि हम कैसे इस भ्रष्टाचार को रोकें। इस मामले में जब सब लोगों का सहयोग सरकार के साथ हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस भ्रष्टाचार को मिटाने में सफल होंगे। सर्विसेज की गारन्टी का मतलब यही नहीं कि ईमानदार और बेईमानदार दोनों आदमियों को गारन्टी का अधिकार है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस तरफ सरकार का ध्यान जरूर होना चाहिये। बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वह तैयार हो। भ्रष्टाचार को कम करें ताकि लोग वास्तविक रूप से यह समझने लग जायं कि अब सच्चे रूप में जनता का राज्य आया है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें हमारा बड़ा कर्तव्य है। यदि हम कर्मचारियों की बुराई का बोझ सरकार पर थोप दें और यह कहते रहें कि सरकार ने ऐसा किया है यह हमारे लिए शोभास्पद बात नहीं। अभी एक माननीय मित्र ने कहा है कि एक राज्य कर्मचारी ने एक तरह का सरक्युलर निकाला कि कांग्रेस की मदद करो। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि जो लोग वहां कांग्रेस का मुकाबला कर रहे थे उन्होंने किसी कर्मचारी से मिल कर लेटर का गलत अनुवाद करवा कर दस्तखत करा लिये; इसको सरकार जिम्मेदार नहीं। इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का दृष्टिकोण मत रखिये कि एक आदमी की गलती सारे सरकार पर डाल दें, जिससे सरकार बदनाम हो।

डा० करनसिंह:—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इकबाल किया जा रहा है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक सिलसिले में ऐसा कार्य किया। क्या उस अफसर के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

मानननीय अध्यक्षः–

इकबाल सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। एक सदस्य के अपने विचार हैं जो वे प्रकट कर रहे हैं।

श्री वेदपाल त्यागीः–

(अपना भाषण जारी रखते हुए) एक दूसरी बात जिस की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि आज सदन के सामने, जब कि भारतवर्ष में ही नहीं वरन् सारे संसार में क्रान्ति हो रही है, आर्थिक क्रान्ति हो रही है, जिसमें शासन को ज्यादा मौका मिलता है. आप देखेंगे कि न केवल राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था बन्द हो रही है बल्कि देश पर बोझ बन कर रहनेवाले इस प्रथा का जागीरदारी प्रथा का जो इस देश में चली आ रही है, जिसमें दूसरे लोगों का शासन होने की ज्यादा संभावना थी, उसे खत्म करने की आवश्यकता है। यह समय की मांग है। इस प्रथा को खत्म करने में हमारी कोई बदले की भावना नहीं है, यह तो समय की मांग है। अब हम इसे नहीं रोक सकते हैं न किसी के रोके यह रुक सकती है, चाहे जितना भी वे प्रयत्न करें। आप देख रहे हैं कि जागीरदारी समाप्त हो रही है। जमींदारी प्रथा जो हमारे समाज का एक अंग बन चुकी थी, जिसमें लोग किसानों की खरी कमाई को खाकर, ऐश आराम कर रहे हैं वह भी बिहार, यू० पी०, उड़ीसा आदि राज्यों में समाप्त की जा रही है। तो इस बात में यह राजस्थान अछूता कैसे रह सकता है? इसलिये निवेदन करूंगा कि समय की गति पहचान कर हमें चलना चाहिये। परिवर्तन के अनुसार हमें अपने को बदलना चाहिय।

मैं सदन का ध्यान इस ओर दिला देना चाहता हूं कि जिस प्रकार हम-आप, सब इस तरफ और उस तरफ बैठे हैं सब प्रजा द्वारा चुने हुए हैं और हमारा फर्ज हो जाता है कि हम लोगों को अच्छी सरकार दें। वामपक्ष का कार्य यह होता है कि जिस पक्ष के हाथ में सरकार है उसकी गलतियों को बताता रहे (करतल ध्वनि) लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एक दूसरे की गल्तियों को हम इस तरह से बतायें कि जिससे हमारे राज्य के विकास में बाधा उपस्थित हो और एक दूसरे को घृणा की भावना से देखने लगें। हम सब मित्र हैं और एक जगह बैठे हुए हैं। दोनों का कॉमन कॉज (एक ध्येय) है। यह दूसरी बात है कि हम डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) में है और डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) में जिस पार्टी का बहुमत होता है वह राज्य करती है। इसलिए ऐसी हालत में कोई बुरा नहीं मानना चाहिये क्योंकि सरकार किसी भी पक्ष के हाथ में हो दूसरे पक्ष की हर तरह से उसमें केवल बुराई ही बुराई नहीं देखनी चाहिये। केवल इसी कारण की कोई बुराई एक राज्य कर्मचारी ने कर दी है तो सरकार बुरी हो गई! इसलिये हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम इस दृष्टि-कोण को ठीक करें और इस दृष्टिकोण से सही रास्ते पर चलें। जो गल्तियां हों उनको आप बतायें और सरकार से यह प्रार्थना करें कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में किसी का उल्लेख नहीं किया गया हो वह उसमें सम्मिलित करावें।

श्री जसवन्तसिंहजी ने जो आबू का प्रश्न रखा है वह एक प्रमुख प्रश्न है जिस पर हम सब को एक मत होकर भारत सरकार से मांग करनी चाहिये कि यह आबू राजस्थान का अंग है। हर तरह से, हर दृष्टि से देखा जाय तो आबू गुजरात प्रान्त नहीं माना जा सकता है। हो सकता है कि किन्हीं कारणों से इसे गुजरात में मिला दिया गया, लेकिन अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसकी मांग भारत सरकार के सामने रखें कि आबू हमारा है और इसे वापिस किया जाय। आबू को हममें मिलाया जाय। तो मैं समझता हूं कि सरकार अवश्य ध्यान देगी।

मुझको भी सरकार में रहने का एक बार मौका प्राप्त हुआ। मेरे निजी अनुभव से मैं यह बात कह सकता हूं कि इन्टिग्रेशन एक बहुत कठिन चीज है। उसके ऊपर कुछ ऐतराजात हुए हैं। उसके संबन्ध में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस संबन्ध में आप कितना ही काम करें सब लोगों को खुश करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। सब लोगों को न तो हम संतुष्ट ही कर सकते हैं और न इस दृष्टिकोण से यह काम किया जा सकता है। दूसरा यह काम इतना मुश्किल है कि हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। आर० ए० एस० के लिए मैं निवेदन करूंगा कि पहले इसके लिए जो कमेटियां बनी हैं उसका जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है उससे काफी लोगों में संतोष हुआ है लेकिन फिर भी असन्तोष कम नहीं हुआ। इसके बाद जो दूसरी कमेटी बनाई गई, जिसका कि रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं होने पाया है, इस काम के करने में देर तो बड़ी लग गई लेकिन जिस प्रकार का और जिस तरह के साइन्टिफिक (वैज्ञानिक) तरीके से वह काम होना चाहिए उसमें देरी लग ही जाती है। इसके लिए मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरह से यह काम चल रहा है वह किस प्रकार से समाप्त किया जायगा, उसके बाद बहुत कम लोग ऐसे होंगे या रहेंगे जो कि संतुष्ट न हों। जहां हमने राजनैतिक बोर्डर्स (सीमाओं) को तोड कर हमने राजस्थान का एकीकरण किया है वहां हम अपने मानसिक बोर्डर्स (सीमाओं) को भी तोड़ कर एकीकरण करें। आज भी हम देखते हैं कि जो जोधपुर से आये हैं वे जोधपुर की सोचते हैं, जो कोटे से आये हैं वे कोटे की सोचते हैं, जो बीकानेर के हैं वे बीकानेर की सोचते हैं और अभी तक जो स्पीचेज हुई हैं उनमें इस बात का पूरा पता लगता है कि अगर वे यह नहीं कहते कि वे कहां से आये हैं तो भी उनकी स्पीचों (भाषणों) से पता लग जायगा वे कि वे वहां से आये हैं। यद्यपि वास्तव में राजस्थान एक प्रान्त बनना चाहता है तो उसका इन्टिग्रेशन एकीकरण जल्दी ही खत्म हो जाना चाहिये। कानूनों का इन्टिग्रेशन काफी हो चुका है जो थोड़े से रह गये हैं जैसा कि श्री इन्द्रनाथजी मोदी ने बतलाया है, उनका एकीकरण भी जल्दी ही हो जायगा, किन्तु हमारा मानसिक एकीकरण भी जल्दी ही होना चाहिये।

हम इस चीज को राजस्थान की दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। यदि राजस्थान के हित की दृष्टि से सोचना शुरू नहीं करेंगे तो सरदार पटेल ने जो इतना बड़ा भारी कार्य किया है जिसका कम्पेरिजन दुनिया के इतिहास में नहीं मिलता है, उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। मैं यह बता चुका हूं कि जनतन्त्र

की प्राणाली से हम जो १६० आदमी यहां आये हैं उसको अच्छी तरह से संपादित करने का काम आप लोगों का है । इस गणतन्त्र की भावना का सुन्दर निर्माण करना हम लोगों के कन्धों पर है । इसलिये मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम बजाय एक दूसरे की नुक्ताचीनी के एक दूसरे को समझें, और एक दूसरे के नजदीक आकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें । अभी तक जो राजस्थान की पुरानी परम्परा थी उसके अन्तर्गत हम एक दूसरे के अधिक नजदीक नहीं आसके । मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें एक दूसरे के नजदीक आकर वास्तविक रूप से हमारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिये और यदि हम एक दूसरे के खिलाफ बात भी कहें तो इस प्रकार से कहें कि हमारे दिलों में कभी मनमुटाव पैदा नहीं हो ; बल्कि एक मित्र समझ कर कहें । मैं यह निवेदन करूंगा कि इन्टिग्रेशन (एकीकरण) हमारा समाप्त हो रहा है और इसके सम्बन्ध में अपने भाषण में श्रीमन् राजप्रमुख ने जो कहा है वह बिलकुल सत्य है; जो वायदे किये गये हैं वे भी सत्य ही साबित होंगे । यह समय बतायेगा । आज इस पक्ष के लोग और उस पक्ष के लोग सवाल कर सकते हैं सो भविष्य की शंकायें वे अपने दिमाग में नहीं लाएं । मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि जो राजप्रमुख ने आखरी बात कही है, जो शिक्षा दी है उसकी तरफ हम सबको ध्यान देना चाहिये और हम सब एक मत होकर श्रीमन् राजप्रमुख को अपनी तरफ से धन्यवाद अर्पण करें कि हम सब लोग उनका पालन करेंगे ।

श्री कुंवर तेजसिंह:- -

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पूर्व वक्ताओं के व्याख्यान सुने । हमें कई बातों का ज्ञान भी हुआ और कुछ विषयों पर जानकारी भी । पूर्व वक्ता काफी चर्चा कर चुके हैं, जिसे दोहराना मैं उपयुक्त नहीं समझता । मैं खास खास मसलों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और उनमें पहला है भोजन-व्यवस्था । श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में यह प्रकट किया गया है कि भोजन की व्यवस्था बहुत कुछ सुधर गई है और उस पर सरकार ने काफी कामयाबी हासिल की है । लेकिन वास्तव मे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस अमुक कॉन्स्टीटचूएंसी से मैं आया हूं, जैसा कि अभी माननीय श्री वेदपालजी त्यागी ने कहा है कि अपने को विस्तृत विचार रखने चाहिये । आपका कहना ठीक है, लेकिन चूंकि हमारी जानकारी सीमित है और जिस कांस्टीटचूएंसी से हम आए हैं, उसके प्रतिनिधि हो सकते हैं, तो इसलिए मजबूरन हमें इसके लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है । इसके लिए मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में एक शेरगढ तहसील है जिसके प्रति राजस्थान बनने के बाद में एक सौतेली मां का बर्ताव किया गया । चूंकि इस तहसील का कोई अभी तक न प्रोपेगेंडा रहा, न अखबारों में प्रचार रहा न वहां पर कोई कांग्रेसी नेता ही हुआ जिसने कि अखबारों में प्रचार किया हो । इन वजूहातों की वजह से इस कांस्टीटचूएंसी में धान की इतनी कमी रही कि जिसका वर्णन करना तो मुश्किल ही है । यदि उसे अपने माननीय मंत्री महोदय वहां पधार कर देखें तो उन्हें महसूस हो सकता है । हमने इसके लिए कुछ डेप्युटेशन भी पेश किए, कुछ दरख्वास्तें भी भेजी, जिस पर वहां कमिश्नर

साहब जरूर तलाश करने के लिए आए । इसके पहले कि मैं कुछ और कहूं मुझे एक किस्सा याद आता है । हमने पढ़ा था कि विलायत में यूरोप की एक महारानी के पास एक समय सूचना आई कि उसके राज्य में गवर्नर जनता पर अत्याचार कर रहा है । उसने कहा कि मैं स्वयं वहां जाऊंगी और मालूम करूंगी कि वास्तव में परिस्थिति क्या है ? लेकिन जब महारानी वहां पहुंची तो सड़क के दोनों तरफ गवर्नर ने कुछ अपने ऐसे आदमियों को नियुक्त कर दिया जिन्हें यह आदेश दे दिया कि वे हंस-मुख रहें ; और उन्हें यह भी कह दिया कि यदि उन्हें पूछें तो वे यह कह दे कि उन्हें 'बहुत संतोष है । बिलकुल वैसी ही हालत इस शेरगढ तहसील की है । हमारे वहां कमिश्नर साहब पधारे थे । हमारे मंत्री महोदय ने जिन महानुभाव को ठेका दिया था मुमकिन है कि वह उनके सम्बन्धी हों । तो उनके वहां आने पर कुछ ऐसी घटनाएं रखी गई जिससे महसूस हो कि वहां की स्थिति सोचनीय नहीं है । इससे पहले मैं और साफ कर देना चाहता हूं कि लोगों ने ७-७ दिनों तक कई दफा फाके किए हैं और इस तहसील को यहां राजस्थान बनने के बाद में पौष्टिक अन्न प्राप्त नहीं हुवा है। हमारे यहां वही एनिमिल फूड, वही लाल आस्ट्रेलियन मिलो मिलता रहा है । इसके अलावा इस भोजन व्यवस्था के मुताल्लिक यह कह देना आवश्यक समझता हूं कि अन्न के वितरण में भी काफी गड़बड़ी रही है। कई जगह इतना अनाज पड़ा रहा कि सड़ गया और कहीं भूखों मरना पड़ा । अभी कुछ दिनों पहले हमारी तहसील में चने आए । हमने देखा कि वे सड़े हुए हैं । हमारे पूछने पर बताया गया कि ये बीकानेर से आए हैं और चूंकि कोई ठीक प्रबन्ध नहीं होने से बारिश में भीग गए हैं और इस तरह हमने महसूस किया कि एक स्थान पर तो अनाज पड़ा पड़ा बारिश में भींगता है और बरबाद हो जाता है और दूसरी ओर लोगों को खाने को नहीं मिलता । लेकिन सरकार ने इस पर कोई तवज्जोह नहीं की । इसके अलावा दुर्भिक्ष के मुत्तल्लिक मैं यह कहना उचित समझता हूं कि राजस्थान होने के बाद में, कुछ हमारे दुर्भाग्य से कहिये हमारे वहां ऐसा एक भी अवसर नहीं आया जब कि हमारे यहां कुछ अन्न पैदा हो । गत ३ वर्षों में पूरी तहसील में भारी दुर्भिक्ष रहा है । इमदाद के लिए मैं आपसे साफ अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमें रियासती राज्य में ज्यादा इमदाद मिली। रियासत के समय हमें एक ही अकाल का मुकाबला करना पड़ा जोकि सम्वत् छयानवे काल था । उस वक्त ३॥ लाख रुपये की मदद मिली । काफी सड़कें बनाई गईं जिससे हमारे वहां इधर उधर आने जाने के कुछ साधन भी बने । लेकिन इस ३ वर्ष के दायरे में ३० हजार रुपये इस तहसील को मिले, जिसमे उनकी तकसीम १००) और २००) रुपये हर गांव में हुई । जहां कि आबादी हजारों की तादाद में हो उनको केवल इतनी सी इमदाद दी गई । अब आपही सोचिए कि इन २००) रुपयों से उनकी हालत कहां तक सुधर सकती है । यह एक चिन्ताजनक बात है । इससे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि दुर्भिक्ष की हालत इसी प्रकार रही तो इस तहसील से इन्सान इंसान का आहारी बन जायगा । ऐसी नाजुक हालत बढ़ रही है ।

अब सरकार के हम उन कानूनों पर आते हैं जिससे कि सरकार ने

किसानों को फायदा पहुंचाने का प्रयत्न किया है । हम मानते हैं कि राजस्थान टीनेंसी आर्डीनेन्स से किसानों को इमदाद मिली है, साथ ही जागीरदारी एबोलिशन एक्ट से भी मुमकिन है कुछ इमदाद किसानों को मिलेगी । लेकिन इन कानूनों से एक विशेष वर्ग को इतना नुकसान पहुंचने वाला है, जिस पर सरकार ने कभी तवज्जोह नहीं दी, वह है आम राजपूत, भूमिदारों में रहने वाले राजपूतों की समस्या ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः-

अध्यक्ष महोदय १२॥ बज गए ।

माननीय अध्यक्षः-

(श्री तेजसिंह को संबोधित करते हुए) आपको ज्यादा समय लगेगा ?

श्री तेजसिंहः--

हां, कम से कम आधा घन्टा ।

माननीय अध्यक्षः-

मैं यह कह देना चाहता हूं कि मेरे पास ४२ वक्ताओं के नाम हैं और संभवतः सारे के सारे न बोल सकें और उनको अवसर दिया जाय तो दिन भर में भी सब को बोलने का समय नहीं मिल सकेगा । इसलिए मैं सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वे अपना भाषण अधिक से अधिक ८ मिनट तक या ७ मिनट के अन्दर अन्दर पूर्ण करें और इस बात का विचार रखें कि हमको इस समय के अन्दर ही इस अपनी कार्यवाही को समाप्त करना है । मैं समझता हूं कि आप अभी, आज ही अपना भाषण पूरा कर देंगे । आप ५ मिनट में अपना भाषण पूरा कर दें ।

श्री तेजसिंहः-

मैं अपना भाषण ८ मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

माननीय अध्यक्षः-

अच्छा तो बोलिए ।

श्री तेजसिंहः-

तो मैं यह कह रहा था कि खुद काश्त करने वाले राजपूतों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है और इसीलिए सरकार का ध्यान इस ओर भी होना बहुत आवश्यक है। इसके पश्चात मैं आपके सामने पुलिस के विषय में अर्ज करूंगा ।

हालांकि पुलिस का काम गत डेढ़ साल में सराहनीय रहा है । पुलिस ने कुछ डाकुओं को पकड़ा है और कुछ को मारा है और इस मुठभेड़ में पुलिस के कई वफादार सेवक वफादारी से ड्यूटी अंजाम देते काम आ गये, लेकिन फिर भी इधर उधर तबादले होने से लोकल ऑफिसर न होने से ऐसा मालूम हुआ है कि पुलिस ठीक तरह से अमन चैन कायम नहीं कर सकी । शेरगढ़ ऐसी तहसील है जहां कि पुलिस अफसर वहां का लोकल आदमी होना बहुत जरूरी है । क्योंकि वहां रेत के टीबे अधिक हैं और वहां पर वही आदमी रह सकता है जो वहां से वाकिफ हो । जो वहां की जानकारी नहीं रखता उसका वहां रहना उचित नहीं । अभी कुछ महीनों में शेरगढ़ में भी डाका पड़ा है । यह डाका पड़ने का शेरगढ़ में पहला ही मौका था । वह क्यों हुआ ? यह इसलिये हुआ कि जो ऑफिसर रखा गया वह इस इलाके से अनभिज्ञ था और वह इन भयंकर टीबों में जाकर डाकुओं का मुकाबला करने का प्रयत्न नहीं कर सका ।

जल-प्रबन्ध के बारे में मैं यह कहना उपयुक्त समझता हूं कि, शहर और कस्बों के सिवाय, ग्रामों की अधिकांश जनता इससे सहमत नहीं है । हम जैसे भुक्तभोगी, जिन्होंने कि थार रेगिस्तान में जन्म लिया है, अच्छी तरह जानते हैं कि इस जनतंत्र सरकार के राज में २४-२४ मील से पानी अभी भी लाना पड़ रहा है । हमने इसके लिए कई जगह दरख्वास्तें दी लेकिन सरकार की तरफ से यह जवाब मिला कि हम २००) रूपये तकाबी के रूप में दे सकते हैं, अथवा ५००) रूपये फैमिन रिलीफ फंड में से दे सकते हैं । एक कूए को बनाने में ८०००) रुपये चाहिये वहां सरकार ५००) रुपये देती है!

पंचायती राज्य के मुतल्लिक मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि पंचायत के मुतल्लिक हमको आने जोधपुर में जाकर जानकारी हासिल करना चाहिए । हमने चाहा कि हमारे गांव में पंचायत कायम हो ताकि वहां के लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न करें । लेकिन हमारे यहां एक जाति विशेष के ही कर्मचारी आदि से अन्त तक वहां आ जाने की वजह से वे अफसर वहीं पंचायतें कायम करते हैं जहां उनकी जाति के लोग बहुत होते हैं अथवा जहां वे अपने पक्ष के पंच मुकर्रर कर सकते हैं ।

ऊन उत्पादन में हमारा इलाका खास स्थान रखता है । लेकिन इसके उत्पादन में उन्नति हुई उसका सरकार को कोई खास श्रेय नहीं है । वहां के लोगों ने यह किया है, सरकार यदि कुछ करती तो उसे चाहिये था तो वह कुछ मदद देती ।

क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने मुझे बहुत कम समय दिया है इसलिये मैं अपने इस भाषण को जल्दी समाप्त करता हूं । लेकिन राजप्रमुख ने अपने भाषण में आदि से अन्त तक जितनी स्कीमें बतलाई है जहां तक मेरा खयाल है अधिकांश कागजी स्कीमें हैं, उन पर कोई विचार नहीं किया गया है । अन्त में मैं यह कह बैठ जाऊंगा कि राजप्रमुख के भाषण का बहुत सा हिस्सा ऐसा था जिसे

ठीक नहीं कहा जा सकता । वास्तविक स्थिति यह है कि इस अभिभाषण में सत्य क्रम और आत्म-प्रशंसा अधिक है ।

माननीय अध्यक्ष:–

अब सदन की बैठक बुधवार, २ अप्रेल, सन् १९५२ ई०, प्रात: काल ८-३० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(इसके पश्चात् सदन १२-५० बजे, २ अप्रेल सन १९५२ ई० के प्रात:काल ८-३० बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

मन्साराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर.

जयपुर,
१ अप्रेल, सन् १९५२ ई० ।